मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2018-20 /R.N.I. No. 66400/97

खोदा पहाड़ निकाली चुहिया	3
मुस्लिम सदस्यों ने भाजपा छोड़ी	4
नेटबंदी से कश्मीर हुआ दोजख	5
गिलानी को याद रखा जाये	6
केजरीवाल के काम की छाप	8

वर्ष 33 अंक 11 फ़रीदाबाद 26 जनवरी-1 फ़रवरी 2020 फोन -8851091460 2.₹०

शहर में फूड सैंपलिंग बना लूट का धंधा

फ़रीदाबाद (म.मो.) जनता को मिलावट रहित एवं शुद्ध खाने-पीने को मिलता रहे, इसके लिये सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में एक फूड इन्स्पेक्टर का पद बनाया था, जो ज़िले के सीएमओ के अधीन काम करता था। सीएमओ के कमाऊ पूतों में से एक बड़ा कमाऊ पूत फूड इन्स्पेक्टर भी हुआ करता जो खाने-पीने के सामान बनाने व बेचने वालों से अच्छी-खासी उगाही किया करता था।

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सीएमओ की इस लूट-कमाई को बंद करने के लिये फूड इस्पेक्टर का पद समाप्त कर अलग से एक प्राधिकरण (अथॉरिटी) बना दी। इसके तहत हर ज़िले में एक डीओ और उसके अधीन एक डेजिग्नेटिड ऑफ़िसर व उसके आधीन एक एफएसओ (फूड सैंपलिंग ऑफ़िसर), एक असिस्टेंड यानी बाबू और एक डाटा इंट्री ऑप्रेटर नियुक्त कर दिया गया। इस स्टाफ़ का सीएमओ से कोई ताल्लुक नहीं होगा, सीधे चंडीगढ स्थित प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।

विज की इस नई व्यवस्था के तहत फ़रीदाबाद में एनडी शर्मा बतौर डीओ तैनात है जो पहले फूड इन्स्पेक्टर हुआ करता था। यह द्वितीय श्रेणी का पद है। इसके आधीन एक सरकारी डॉक्टर आदित्य चौधरी बतौर एफ़एसओ तैनात है। डॉक्टर का पद प्रथम श्रेणी का होता है लेकिन जब लूट-कमाई ही करनी हो तो पद और श्रेणी का क्या देखना, किसी तरह जुगाड़बाज़ी लगा कर इस पद को हथिया लिया जाता है। इस पद पर दोहरा मज़ा यह है कि न तो किसी दफ़्तर में हाजिरी देनी है न कोई काम करना है, बस घर बैठे लूट-कमाई का हिस्सा चुप-चाप मिल जाता है।

मंत्री अनिल विज : फूड सैपलिंग का बन्द दफ्तर सिर्फ लूट का हिसाब रखने के लिए खुलता है

असिस्टेंट के पद पर तैनात राजीव कुमार इसी महकमे में चपरासी से क्लर्क और पदोन्नत होकर असिस्टेंट हो गया। इसका जोड़ीदार मनिंदरपाल सिंह डाटा इन्ट्री ऑप्रेटर ठेकेदारी पर है। इसके काले कारनामों की लिस्ट जब सिरसा में बहुत लम्बी हो गयी थी तो इसे ब्लैक लिस्ट कर काम से हटा दिया गया था; परन्तु राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं जुगाड़बाज़ी के चलते यह न केवल काम पर बहाल हो गया बल्कि लूट-कमाई में नम्बर वन ज़िला फ़रीदाबाद में तैनात हो गया।

इन दोनों की जोड़ी के पास अपनी एक निजी स्विफ्ट कार है जिस पर अवैध रूप से अंग्रेजी में लाल पेंट से लिखा है, ''गवर्मेंट ऑफ़ हरियाणा'' इन दोनों की जोड़ी अपने दोनों अफ़सरों के आशीर्वाद से बाज़ारों में सैंपल भरने का डरावा दिखा कर दिन भर अवैध वसूली करने में जुटे रहती हैं।

नियमानुसार इन दोनों को तो बीके अस्पताल स्थित अपने दफ़्तर में बैठना चाहिये तथा ऊपर के दोनों अधिकारियों को दिनचर्या यानी मूवमेंट रजिस्टर में भर कर बाज़ारों में निकलना चाहिये तथा सही ढंग से खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट की रोक-थाम करनी चाहिये, जो ये नहीं करते। कानूनन डीओ अपने हस्ताक्षर से स्लिप जारी करता है जो लिये गये सैंपल पर चिपकाई जाती है। केवल एफ़एसओ सैंपल लेने को अधिकृत होता है। परन्तु मिलीभगत के चलते डीओ अपने असिस्टेंट को ही कोरी स्लिप हस्ताक्षर कर के दे देता है जिसके बल पर यह जोड़ी फरीदाबाद से पलवल व नूह तक धमाल मचाती है।

प्रति माह 30 सैंपल भर कर लैबोरेट्री भेजने की औपचारिकता ये लोग जरूर पूरी करते हैं। ताकि नौकरी कायम रह सके। इस काम में भी ये लोग दुनिया भर की जुगाड़बाज़ी करते हैं। ऐसे डिब्बाबंद सैंपल लेंगे जो पास होने ही होते हैं लेकिन उनको पास कराने के नाम पर अच्छी-खासी वसूली कर लेते हैं।

वैसे कम तो लैबोरेट्री में बैठे घाघ भी नहीं हैं। वे अच्छे-खासे पास होने वाले सैंपल को फ़ेल तथा फ़ेल होने वाले को पास करने का धंधा खुलेआम चला रहे हैं।

इसी महकमे में एक कर्मचारी ने अनजाने में इस संवाददाता को बताया कि उन्हें न केवल ज़िले भर के प्रशासनिक अधिकारियों की फ़टीकें भुगतनी पड़ती हैं बल्कि सम्बन्धित न्यायिक मैजिस्ट्रेट की फटीक भी करनी पड़ती है।

फ़रीदाबाद नगर निगम कर चोरों पर तो कार्यवाही लेकिन कामचोरों और रिश्वतखोरों को छूट

फ़रीदाबाद (म.मो.) फ़रीदाबाद नगर निगम ने कर चोरों के खिलाफ़ पिछले करीब तीन माह से अभियान छेड़ा हुआ है। निगम के अनुसार शहर के विभिन्न बकायेदारों पर लगभग 220 करोड़ रुपये का सम्पत्ति कर बकाया है। इसमें 150 करोड़ रुपये उद्योगों और कमर्शियल भवनों पर बकाया है। करीबन दस हज़ार लोग ऐसे हैं जिन पर 50 हजार रुपये से ज्यादा सम्पत्ति कर बकाया है। निगम अभी तक ऐसे 15000 कर चोरों को कर जमा करने का नोटिस भेज चुका है तो 300 भवनों को अभी तक सील कर चुका है।

31 जनवरी तक भी जो लोग कर नहीं जमा करायेंगे निगम उनकी सम्पत्ति कुर्क करके नीलाम करने की योजना बना रहा है ताकि वह अपने सम्पत्ति कर की राशि उनसे वसूल सके। निगम ने 31 जनवरी तक ब्याज माफ़ी योजना भी चलाई हुई है जिसके तहत 2010 से बकाया सम्पत्ति कर एकमुश्त जमा करवाने पर कोई पेनल्टी या ब्याज नहीं लिया जायेगा। बता दें कि पिछले हफ्ते निगम का दस्ता एस्कार्ट ग्रुप के मथुरा रोड स्थित कॉरपोरेट ऑफ़िस को भी सील करने पहुंचा था लेकिन सिर्फ़ उनके सामने रिरियाकर वापिस लौट गया। एस्कॉर्ट ग्रुप पर कई करोड़ रुपये सम्पत्ति कर बकाया है।

निगम अपने पैसे वसूल करने को तो पूरा तत्पर है लेकिन उस पैसे के बदले उसे जो सेवायें देनी चाहिये उनके बारे में पूरी तरह चुप है। जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुये हैं। 15 सेक्टर जैसे पॉश सेक्टर में भी सीवर जाम पड़ा रहता है। रोड टूटे पड़े हैं। स्ट्रीट लाइट की कोई ठीक व्यवस्था नहीं। पानी का कोई ठीक प्रबंध नहीं। अभी तक पानी की 'बिलिंग' को निगम कम्प्यूटराईज नहीं कर पाया है जिसके चलते उसे करोड़ों रुपये साल का नुक्सान हो रहा है जबकि उसके कर्मचारी मोटी रिश्वतें खा रहे हैं। विज्ञापन बोर्ड लगाने और पार्किंग के ठेके देने में भयंकर भ्रष्टाचार है। निगम अपने इन कामचोर और रिश्वतखोर कर्मचारियों को यदि सीधा कर दे तो उसका कायापलट हो सकता है। लेकिन शायद इस लूट की छूट बहुत ऊपर से ही मिली हुई है इसलिये कुछ दिखावटी अभियान चलाने के अलावा निगम के पल्ले कुछ नहीं है।

मोदी सरकार का ईएसआई निगम कर रहा मज़दूरों के जीवन से खिलवाड़

फ़रीदाबाद (म.मो.) गतांक में सुधी पाठको ने पढा था कि एनएच तीन स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मज़दूरों की देख-भाल के लिये नर्सिंग स्टाफ़ की कितनी भारी कमी है। जहां 6 मरीज़ों की देखभाल के लिये एक नर्सिंग स्टाफ़ होना चाहिये वहां 26 पर एक लगा है। ऐसे में मरीज़ों के भाई-बंधु दिन-रात बैठ कर अपने मरीज़ों की देख-भाल करते हैं। लेकिन जो मरीज़ अति गंभीर हालत में होते हैं उन्हें अपने भाई-बंधुओं की देख-रेख के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे मरीज़ों को साधारण वार्ड की बजाय आईसीयू (गहन देख-रेख इकाई) में रखा जाता है।

राज्य भर के किसी भी ईएसआई अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था न होने के चलते ऐसे मरीज़ों को निजी व्यापारिक अस्पतालों में रैफ़र कर दिया जाता था जो मरीज़ों से भी (डरा-धमका) वसूली करते थे और ईएसआई से भी करोड़ों रुपये के बिल प्रति वर्ष वसूलते थे। रैफ़रल बिलों के भारी-भरकम भुगतान से बचने के लिये चाहिये तो यह था कि, अपनी आवश्यकता को देखते हुए, निगम अपने अस्पतालों में निजी अस्पतालों से भी बेहतर आईसीयू का निर्माण करता; परन्तु उस पर होने वाले खर्च को बचाने के लिये निगम ने मात्र 30 बेड का एक छाटा सा आईसीयू अपने इस एनएच-तीन वाले अस्पताल में एक ठेकेदार से खुलवा दिया।

जाहिर है ठेकेदार यहां कोई पुण्य कमाने तो आया नहीं था, आधी-अधूरी सेवाऐ देने के बावजूद भी जब उसे मुनाफ़े की जगह घाटा होने लगा तो वह छोड़ भागा। और भागा भी ऐसा कि उस यूनिट को ताला लगा गया जिसे निगम दो घंटे में भी खुलवा नहीं सका।

इसके बंद होते ही फ़िर रैफ़रल बिलों के बढ़ने की समस्या से बचने के लिये निगम ने मरीज़ों को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की ओर धकेलना शुरू किया। कुछ प्रभावशाली मरीज़ों को स्थानीय निजी अस्पतालों में भी भेजा जाने लगा।

करीब साल भर के इस ड्रामे के बाद इसी अस्पताल में 20 बेड की एक नकली सी आईसीयू बनाई गयी। जहां 100 बेडेड आईसीयू की जरूरत हो वहां 20 बेड वाली तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और नकली इसलिये कि 20 बेड पर जहां 70 नर्स व 5 विशेषज्ञ डॉ. हर वक्त रहने आवश्यक हैं वहां केवल 20 नर्स ही तैनात हैं। जाहिर है कोई भी नर्स 24 घंटे पूरा सप्ताह तो तैनात रह नहीं सकता। इस लिये यहां आवश्यकता है 70 नर्सों की और डॉक्टर भी एनेस्थिसिया व मेडिसन के होने चाहिये। परन्तु जब पूरे अस्पताल में ही 40 अनेस्थिसिया डॉक्टरों की जगह कुल 12 डॉक्टर हों तो आइसीयू में लगाने को कहां से आयेंगे?

लगभग यही स्थिति मेडिसन विभाग के डॉक्टरों की हैं। इन हालात में आइसीयू में डाले जाने वाले मरीजों से पिंड छुड़ाने के लिये उन्हें दिल्ली के लिये रैफ़र करके एम्बुलेंस में डाल कर एम्स या सफ़दरजंग मे धकेल दिया जाता है जहां पहले से ही हाउसफुल चल रहा है। समर्थ मरीज़ किसी निजी अस्पताल में अपना इलाज कराता है और असमर्थ मौत को गले लगाता है।

यहां गौरतलब बात यह है कि मोदी सरकार एक ओर तो बीते ढाई वर्षों से, चिकित्सा के नाम पर आयुष्मान का ड्रामा खेलने में जुटी है वहीं दूसरी ओर मज़दूरों के वेतन से साढे छः प्रतिशत की वसूली कर लाखों करोड़ के खजाने पर कुंडली मार कर भी मज़दूरों को वांच्छित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने से हाथ खींच रही है।

तुर्की-ब-तुर्की : आईएएस अशोक खेमका

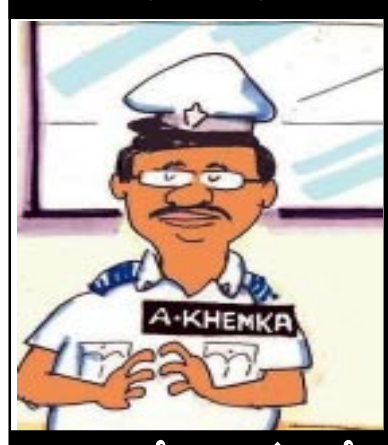

आईएएस इंचार्ज

सरकार को चिट्ठियां लिखकर असहज करने की कला में पारंगत आईएएस अफसर अशोक खेमका ने अपनी नई चिट्ठी में आईएएस को सर्वश्रेष्ठ बताकर स्वयं को भी असहज करने वाली बातें कर डाली हैं। इससे किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, सिवाय आईएएस लॉबी के।

आईएएस एसोसिएशन अब एक प्रस्ताव के जरिए अपनी जानकारी के लिए खेमका से उन उपलब्धियों की लिस्ट मांगने जा रही है जिनके चलते उन्हें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है।

सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में योगी के इशारे पर हिंसा फैला रही है यूपी पुलिस

सीएए-एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में हिंसा भड़काने के नाम पर 1 महीने तक सलाखों के पीछे रहे हाईकोर्ट के वकील मोहम्मद शुऐब ने कहा मुझ पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा गिरफ्तारी करवाने वाले वही डीजीपी हैं, जिन्होंने बुलंदशहर में हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, बजरंगदल के गुण्डों द्वारा अपने ही इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के बाद इन संगठनों का नाम लेने तक की नहीं दिखाई थी।

दिल्ली, जनज्वार। रिहाई मंच के अध्यक्ष अधिवक्ता मुहम्मद शुऐब ने 21 जनवरी को दिल्ली स्थित प्रेस क्लब पत्रकारों से प्रेस क्लब में बातचीत की। संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) के खिलाफ आवाज बुलंद करने के जुर्म में महीना भर बाद जेल से रिहा होने पर पत्रकार वार्ता में कहा कि आपातकाल में जेल काटने के कारण लोकतंत्र का सेनानी बना और अब संविधान की रक्षा के लिए जेल जाने पर मुझे गर्व है।

उन्होंने कहा कि रिहाई मंच समाज के हाशिए पर खड़े वंचित समाज के उत्पीड़न के खिलाफ लगातार संघर्ष के चलते सत्ता की नजरों में गढ़ता रहा है। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने 3 जनवरी को प्रेस कांफ्रेस करके विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने का झूठा आरोप लगाते हुए गृह मंत्रालय को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा। इस बीच सत्ता के इशारे पर रिहाई मंच की छवि खराब करने वाले समाचार प्रकाशित होते रहे। उन्होंने कहा कि यह वही डीजीपी हैं, जो बुलंदशहर में हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, बजरंगदल के गुण्डों द्वारा अपने ही इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के बाद इन संगठनों का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पाए।

मोहम्मद शुऐब ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ शांतिपूर्ण आन्दोलन को साजिश के तौर पर संघ और भाजपा के लोगों की मदद से हिंसक बनाया गया और उनको और रॉबिन वर्मा को गिरफ्तार कर मंच को घेरने की साजिश पुलिस ने रची। रॉबिन की थाने में बेरहमी से पिटाई की। पुलिस के दबाव में उन्हें शिया पीजी कॉलेज, जहां वे पढ़ाते थे, से बर्खास्त कर दिया गया। पुलिस सोर्सेज द्वारा कभी रॉबिन वर्मा को कश्मीरी पत्थरबाजों से जोड़ा गया, तो कभी सार्वजनिक धरना एवं बैठकों को एक बड़ा षड्यंत्र घोषित कर दिया गया। मुझे और अन्य लोगों को उपद्रवी बताकर अपमानित करते हुए हाथ में नाम-लिखा कागज पकड़ाकर उसके फोटो सार्वजनिक तौर पर जारी किये गए।

रॉबिन को गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव के बारे में पूछा गया कि वह कहां हैं। सीओ पुलिस ने उन्हें और उनके घर वालों को भी फर्जी मुकदमों में जेल में डालकर जिंदगी खराब करने की धमकी दी। जिस तरह से गालियों के साथ राजीव यादव के बारे में पुलिस अधिकारी लगातार पूछताछ करते रहे उससे प्रतीत होता है कि यह सरकार जनता के हित की बात करने वालों को साजिश के तहत टार्गेट करने पर आमादा है। जिस तरह उनसे राजीव यादव को लेकर पुलिस ने पूछताछ की, उसको लेकर उन्होंने राजीव यादव की सुरक्षा की गम्भीर चिन्ता जताई।

बकौल मोहम्मद शुऐब के जेल में बन्द अन्य लोगों ने भी कहा कि राजीव के बारे में उनसे पूछताछ हुई, जबकि पुलिस स्टेशन में उनकी मौजूदगी में कई लड़कों को लाया गया, जो पत्थरबाजी करते हुए पकड़े गए थे। उनके समर्थन में भाजपा कार्यालय से फोन आए, उसके बाद पुलिस ने उन्हें चाय पिलवाकर सम्मानपूर्वक भाजपा कार्यालय भेज दिया।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए पत्रकार हरतोष बाल जी ने कहा कि रिहाई मंच ने बहुत समय तक जो काम किया है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर गुस्सा दिलाता है, और बहुत ही सुनियोजित तरीकों से सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर दमन और हिंसा की जा रही है, जो साफ-साफ अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर राज्य तंत्र के इस्तेमाल से बदला लिया जा रहा है। पुलिस के बडे अधिकारी संघ और उनकी दूषित विचारधारा को शह दे रही है। तबादले करके अफसरों को लाया जाता है जो शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शनों में खुद ही हिंसा फैला रहे, और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर पूरी हिंसा फैला रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि रिहाई मंच राज्य में मुसलमानों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं की हत्या और 'एनकाउंटर' पर सवालिया निशान उठाये हैं और पुलिस की कहानी का पर्दाफाश किया है। रिहाई मंच योगी सरकार की 'ठोक दो' नीति के तहत पुलिस द्वारा एनकाउंटर पर सवाल उठाता रहा है। रिहाई मंच और दूसरे संगठनों के प्रयास से इन मामलों की जांच में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी कर रहा है।

14 लोगों को फर्जी केसों से निकलवाने का काम भी रिहाई मंच ने ही किया है। मंच के सदस्य द्वारा पूर्व में बनाई गई योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर केंद्रित डाक्यूमेंट्री फिल्म इनको चुभती रही है। इस फिल्म के कारण ही योगी आदित्यनाथ के ऊपर एफआईआर हो पायी थी। यही कारण है कि मौजूदा आंदोलन के दमन के लिए साजिशन उत्तर प्रदेश सरकार ने अनर्गल आरोप लगाए। उल्लेखनीय है कि इसी को लेकर रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव को पुलिस की तरफ से अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। प्रदेश के कई भागों में मुस्लिमों और दलितों के खिलाफ अन्यायपूर्ण तरीके से एनएसए लगाए जाने और 02 अप्रैल 2018 के भारत बंद के दौरान दलित नौजवानों पर पुलिसिया दमन के खिलाफ भी मजबूती से आवाज उठाई।

वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमडिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि लोकतंत्र की गरिमा को बनाये रखने के लिए रिहाई मंच ने बहुत काम किया है। मुसलामानों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्ग को बहुत समय से संघ के लोगो ने निशाना बनाये रखा है। उनका प्रयास है कि रिहाई मंच की छवि खराब करके उन्हें अलग-थलग छोड़ दें। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और पुलिस एनकाउंटर पर रिहाई मंच ने लम्बे समय से काम किया है। जिन लोगों की मौत हुई है और जिन्हें केसों में फंसाया गया है, उनके लिए तो रिहाई मंच ने बहुत कानूनी संघर्ष किया है। पुलिस और योगी आदित्यनाथ के साम्प्रदायिकता को भी उन्होंने कई बार उजागर किया है।

मानवाधिकारों पर काम कर रही वकील मंगला वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ और एनकाउंटर की पुलिस द्वारा रची गयी कहानियों में साफ दिखता है कि पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं। इस पुलिस अराजकता को नीति का रूप मिला हुआ है। इन केसों की जानकारी से साफ दिखता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में लोगों के प्रति भेदभाव और बहिष्कार भरा हुआ है।

रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव ने कहा कि मंच पर झूठे मुकदमे लादकर अपने ऊपर उठ रहे सवालों को योगी सरकार दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पकड़े गए और पूछताछ के लिए उठाए गए लोगों ने बताया कि मंच के नेताओं के फोन टेप किए गए। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्टों और विभिन्न गतिविधियों और यहां तक कि सीएए के खिलाफ जिन लोगों ने आधिकारिक तौर पर ज्ञापन दिए उन्हें भी षडयंत्रकर्ता के बतौर पूछताछ की गई।

शहीद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह के शहादत दिवस 19 दिसंबर को देशभर में नागरिकता संशोधन के खिलाफ हो रहे विरोधों की कड़ी में लखनऊ में भी सामूहिक प्रदर्शन हुए। 19 दिसंबर से पहले मुहम्मद शुऐब से प्रशासन लगातार वार्ता में रहा, लेकिन अचानक 18 दिसंबर को मुहम्मद शुऐब समेत 8 लोगों को 107/116 द.प्र.स. और थोड़े ही देर बाद 144 द.प्र.स. के तहत नोटिस पक ?ाकर, मुहम्मद शुऐब को उन्हीं के घर में बंदी बना लिया।

हाउस अरेस्ट के दौरान ही 19 दिसंबर की रात 11.45 बजे शुऐब को उनके घर से पुलिस द्वारा नजीराबाद में सर्किल ऑफिसर से मिलने के बहाने चलने को कहा गया। इस पर 76 वर्षीय शुऐब के रिश्तेदार ने सुबह ले जाने की गुजारिश की, क्योंकि दिनभर के हाउस अरेस्ट से वे पहले ही काफी तनाव में थे। जबरदस्ती उन्हें ले जाया गया। तुरंत उनकी पत्नी मलका बी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को फोन पर शिकायत दर्ज की। थोड़ी देर बाद एक सिपाही ने वापस आकर बताया कि वे हज़रतगंज थाने में हैं और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अगले दिन सुबह तक जब उनकी कोई खबर न आई तो उनके परिजनों द्वारा इलाहबाद उच्च न्यायालय कि लखनऊ पीठ के समक्ष हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल कर दी गई। तथ्यों के विपरीत, सरकार का दावा है कि शुऐब को 20 दिसंबर को सुबह 8.45 बजे क्लार्क्स अवध तिराहा से गिरफ्तार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की धूर्तता और गैरकानूनी हरकतों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे राज्य में न्याय, प्रक्रिया और विधि-व्यवस्था की कोई मर्यादा नहीं बची है। जिस खुले ढंग से पुलिस के अफसरों ने मुसलमान, गरीबों और वंचितों पर हिंसा और प्रताड़ना फैलाई है, ये खुद मुख्यमंत्री के शह पर हो रहा है।

प्रशांत भूषण ने कहा कि पुलिस द्वारा किये गए अपराध छोटे मोटे नहीं, बल्कि बेहद गंभीर हैं, न्यायपालिका ने भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, चाहे वो उच्च न्यायालय हों या उच्चतम न्यायालय। ऐसा करके इन्होने अपने पतन के रास्ते ही खोले हैं। प्रशांत भूषण ने सीएए-एनआसी के खिलाफ इस पूरे संघर्ष को दूसरे आजादी के आन्दोलन की तरह देखने को कहा।

गतांक की चीर-फ़ाड़

ईएसआई अस्पताल में डॉक्टर, स्टाफ़, उपकरणों व दवाइयों की कमी

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 19-25 जनवरी 2020 के अंक में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय समसामयिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्था है। जेएनयू प्रशासन शिक्षकों व छात्रों के बीच तीखे तर्किक विचार-विमर्श व संवाद से विवादों का हल निकालने की स्वस्थ्य परम्परा है। यहां के छात्र न सिर्फ आंदोलन के लिये प्रसिद्ध है बल्कि वे उच्च शिक्षा में भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। यहां से पढे हुए बहुत से छात्र देश सेवा से जुड़े अहम पदों पर कार्यरत हैं। यहां के बहुत से छात्र विदेशों में भी अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ रहे हैं। अभी हाल में भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा-2019 की 32 सीट के लिये जो परिणाम घोषित हुये हैं, उसमें उत्तीर्ण होने वालों में 18 तो केवल जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं। इससे जेएनयू के खिलाफ़ प्रचारित मिथक कि जेएनयू के छत्र पढते नहीं, सिर्फ़ आंदोलन करते हैं।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) तथा मोदी सरकार ने जेएनयू शिक्षक संघ तथा छात्र संघ पर संघ समर्थित शिक्षकों व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का वर्चस्व स्थापित करने के लिये देश में एक ऐसा नैरेटिव बना दिया कि जेएनयू देशद्रोहियों, अर्बन नक्सली, टुकड़े-टुकड़े गैंग तथा आतंकवादियों का अड्डा है। जेएनयू प्रशासन द्वारा इस साल हॉस्टल फ़ीस में भारी वृद्धि करने के विरुद्ध छात्र संघ ने हड़ताल कर दी। पूरे सरकारी तंत्र व जेएनयू प्रशासन की सहायता से एबीवीपी समर्पित नकाबपोशों ने जेएनयू के छात्रों तथा शिक्षकों पर कातिलाना हमला कर दिया जिसमें कई छात्र व शिक्षक घायल हो गये। पुलिस ने अभी तक नकाबपोश गुंडों को हिरासत में नहीं लिया और यह नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि लेक्टिस्ट ने हमला किया है।

'जेएनयू पर हमला मामूली घटना नहीं, गृहमंत्री के भाषणों को ध्यान से सुनना चाहिये' में संघ परिवार द्वारा प्रचारित किये जा रहे टुकड़े-टुकड़े गैंग जुमले व मोदी सरकार की हिंसा रणनीति का सटीक विश्लेषण किया गया है। उनकी रणनीति के अनुसार इन तथाकथित राष्ट्रद्रोहियों को थोड़ी हिंसा से नियंत्रित नहीं किया जा सकता इसलिये और अधिक हिंसा करनी पड़ रही है। इसी क्रम में 20 जनवरी को परिसर में एक और छात्र पर तीन हमलावरों ने आक्रमण कर घायल कर दिया, जिससे उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है उस छात्र पर हमला करने का आरोप एबीवीपी पर लगाया गया है, जिसकी शिकायत जेएनयू प्रशासन को कर दी गई है।

मोदी सरकार के संविधान संशोधन अधिनियम (सीएए), एनआरसी तथा एनपीआर के विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन व धरने चल रहे हैं जिसमें सभी जमात, धर्म, जाति के बड़े-बूढे, औरतें, बच्चे, एक्टिविस्ट तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता शामिल हैं। संघ परिवार मोदी सरकार ने बौखलाकर कानून के प्रति जन समर्थक जुटाने और विरोध प्रदर्शनों व धरनों को समाप्त करने व बदनाम करने की मुहिम चला रखी है। दिल्ली के शाहीन बाग़ में महिलाओं के शांतिपूर्ण धरने को समाप्त करने व बदनाम करने के भरसक प्रयत्न किये गए, जिनका 'शाहीन बाग तो खटक रहा है लेकिन गृहमंत्री के घर के आगे की सड़क खुलवाओ तो जाने' तथा 'जैनुल अबीदीन :शाहीन बाद का वो पुरुष जो 34 दिनों से आमरण अनशन पर' में पर्दाफ़ाश किया गया है। शाहीन बाग की तर्ज पर देश के अनेक नगरों मेंभी विरोध धरने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश (यूपी) की राजधानी लखनऊ में महिलाओं के शांतिपूर्ण धरने को कुचलने के लिये पुलिस ने दो दर्जन महिलाओं के विरुद्ध अवैध धरना देने व दंगा कराने के आरोपों पर तीन एफआईआर दर्ज की गई है। इन सबके बावजूद सभी धरना स्थलों पर भीड़ बढती जा रही है और महिलाओं ने निर्णय किया है कि अगर सरकार पीछे नहीं हटेगी तो वे भी विरोध प्रदर्शन व धरने जारी रखेंगी।

यदि कोई जेएनयू छात्र संघ का समर्थन करता है तो मोदी सरकार के अंध समर्थक उसे सोशल मीडिया में तुरन्त ट्रोल करने लग जाते हैं। जब अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने जेएनयू छात्र आंदोलन का समर्थन किया तो सरकार भक्तों ने बौखलाकर सोशल मीडिया में उसके खिलाफ़ गालियां इस्तेमाल की और उसका चरित्र हनन किया, जिसकी 'अब समझ में आ गया है कि मोदी सरकार के समर्थकों की लड़ाई औरतों से है' में समीक्षा की गई है।

देश में सुख-शांति बहाल करने के लिये मोदी सरकार सीएए, एनपीआर व एनआरसी के विरोधियों को बदनाम करने, डराने, धमकाने व चुनौती देने की अपेक्षा सभी समुदायों को बुलाकर खुले मन से उनके साथ विचार-विमर्श कर संवाद स्थापित करके विवाद का हल निकालने का प्रयत्न करे।

'खट्टर और विज में रस्सा कशी-जड़ में है सीआईडी की एक गोपनीय फ़ाइल' तथा 'बुरे दिन भी देखे हैं सीआईडी ने' में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृहमंत्री अनिल विज के बीच सीआईडी विभाग को लेकर चल रही तनातनी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हाईकमान की भूमिका की चर्चा की गई है। इस विवाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता कैप्टेन अभिमन्यु भी कूद पड़े हैं और उन्होंने विज के पक्ष में बयान दिया कि सीआईडी विभाग गृह मंत्रालय से जुड़ा मामला है। इस विवाद को सुलझाते हुए भाजपा हाईकमान ने निर्णय किया है कि सीआईडी विभाग तो खट्टर के अधीन ही रहेगा, जबकि कानून-व्यवस्था के संबंध में वांछित रिपोर्ट विज को दी जायेगी।

देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। महंगाई बढती जा रही है और रोज़गार सृजन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 'आर्थिक सुस्ती का असर, इस साल कम होंगी 16 लाख नौकरियां' में एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के संदर्भ में राज्यों और केन्द्र सरकार में वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में चालू वित्त वर्ष में रोजगार के उत्पन्न अवसरों का खुलासा किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया है और भारत की ग्रोथ रेट में इस बड़ी कमी का असर विश्व अर्थव्यवस्था के लिये आईएमएफ़ के अनुमान पर भी पड़ा है।

अखिल भारतीय स्तर पर नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के समय राष्ट्रीय स्तर पर एससी-एसटी व ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान है। एससी-एसटी छात्रों को तो यह लाभ दिया जाता है लेकिन अभी ओबीसी छात्रों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है, जिसको 'मेडिकल कॉलेजों में दाखिला:ओबीसी की तीन हजार से अधिक सीटों पर उच्च जातियों को आरक्षण' में उजागर किया गया है। केन्द्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण के प्रभाव का अध्ययन करने वाले पैनल को रिपोर्ट देने की समय अवधि आठवीं बार बढा दी है, जिसके परिणामस्वरूप ओबीसी छात्रों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा और उनकी खाली सीटों पर सामान्य वर्ग के छात्रों का नामांकन हो जायेगा।

जम्मू-कश्मीर के पुलिस अधिकारी डीएसपी देविंदर सिंह पर आतंकवादियों की मदद करने, पिछले साल पुलवामा में हुए चरणपंथी हमले में शामिल होने तथा संसद हमले के दोषी अफ़जल गुरु के माध्यम से देविंदर द्वारा विदेशी चरमपंथी को सुविधाएं प्रदान कराने के आरोपों का 'देविंदर सिंह ने गिरफ़्तारी से पहले डीआईजी से कहा-सर ये गेम है, आप इसे खराब मत करो' में भंडा-फ़ोड़ किया गया है। एनआईए द्वारा देविंदर के खिलाफ़ इन आरोपों की जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त अफजल की पत्नी ने भी आरोप लगाया है कि देविंदर ने अफजल को रिहा करने के बदले में एक लाख रुपये मांगे थे। आश्चर्य है कि ऐसे संदिग्ध पुलिस अधिकारी को प्रदेश के सबसे बड़े [illegible]

ईएसआई अस्पताल में डॉक्टर, स्टाफ़, उपकरणों व दवाइयों की कमी का खुलासा मज़दूर मोर्चा द्वारा अक्सर किया गया है, लेकिन हरियाणा सरकार व ईएसआई निगम द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 'ईएसआई अस्पताल में स्टाफ़ की भारी कमी, मरीज अपनी देख-भाल खुद करायें', डॉक्टरों की बेहतरीन सेवाओं पर पानी फेरती पैरा स्टाफ़ की कमी' तथा 'फ़ीड बैक फ़ार्म निरर्थक' में ईएसआई अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था कीं बदहाली, डॉक्टरों व स्टाफ़ की कमी का कच्चा चिट्ठा खोला गया है। गौरतलब है कि मज़दूरों के वेतन में से वसूले गये धन से ईएसआई निगम का खजाना भरा पड़ा है, लेकिन निगम द्वारा पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के लिये आवश्यक धन खर्च नहीं किया जाता, जिससे मज़दूर चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हो जाता है और उसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है।

नगर निगम ने भरा 1.65 करोड़ का जुर्माना, दोषी अफ़सरों की सेहत पर असर नहीं

फ़रीदाबाद (म.मो.) इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम 50 लाख का जुर्माना एनजीटी में व एक करोड़ पन्द्रह लाख का जुर्माना पर्यावरण बोर्ड में भर चुका है। परन्तु इससे भ्रष्ट एवं निकम्मे अफ़सरों की सेहत पर कतई कोई असर नहीं पड़ा, जो इसके लिये जिम्मेवार हैं, उनकी बेढंगी चाल एवं कार्यशैली ज्यों की त्यों बरकरार है।

समझने वाली बात यह है कि यह 1.65 करोड़ की रकम कहां से आई और कहां गयी। यह रकम जनता से बतौर टैक्स द्वारा, सरकार से प्राप्त ग्रांटों द्वारा और निगम की जायदादें बेचने से प्राप्त की गयी थी। यह रकम गयी है सरकार के खजाने में जहां से यह रकम देश भर की विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च होती है। यानी यही रकम या इसका कुछ भाग घूम फ़िर कर फ़िर किसी न किसी रूप में वापस भी आ जायेगा।

लेकिन, नगर निगम जो पहले से ही कंगाली में बेहाल है, आज उसका क्या होगा? उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेतन व भत्ते तो सभी निगम कर्मियों को मिलने ही है, आज नहीं तो कल मिल जायेंगे, जनहित में विकास कार्यों की तो चिंता ही किसे है? चिंता हो भी क्यों, इसके लिये तो ये अधिकारी बने ही नहीं हैं। ये लोग तैनात हैं केवल जनता के खून-पसीने की कमाई को चूसने के लिये।

इतना बड़ा जुर्माना भरने के बावजूद निगम अधिकारियों की कार्यशैली में कहीं भी कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा। सीवरेज का पानी ज्यों का त्यों जहां-तहां सड़कों पर भरा खड़ा है। सेक्टर 46 के लोग़ों की शिकायत पर एनजीटी ने कड़ा नोटिस लेते हुये बेशक नगर निगम पर 50 लाख का जुर्माना ठोक दिया, परन्तु इससे निगम अधिकारियों ने कतई कोई सबक नहीं सीखा। उसके बाद शहर में बढती गंदगी से होने वाले प्रदूषण का नोटिस लेते हुये पर्यावरण बोर्ड ने 1.15 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बरकरार है। यदि उक्त जुर्माने सम्बन्धित अधिकारियों के वेतन एवं जायदादों से वसूल किये जाते तो स्थिति में पूर्ण सुधार होना निश्चित था। परन्तु शासन-प्रशासन ऐसा करने वाला है नहीं क्योंकि जनता का खून चूसने में वह भी बराबर का भागीदार है।

महकमे के मंत्री अनिल विज को सीआईडी विभाग कब्जाने की बेहद हड़बड़ी है। परन्तु जहां आंखों के सामने इतना घोटाला हो रहा हो, उसे देखते की फुर्सत नहीं।

भाजपा के नये अध्यक्ष नड्डा भी अमित शाह से कम नहीं

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश से आने वाले जय प्रकाश नड्डा बेशक गुजराती अमित शाह की तरह न तो तड़ीपार रहे हैं और न ही बड़े पैमाने पर किसी नर संहार के आरोपी, फ़िर भी वे अमित शाह से दो हाथ आगे बढने के लिये कोई कसर छोड़ने वाले नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमित शाह राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का चढाव लेकर आये और उतराव के वक्त छोड़ चले। ऐसे में पुनः पार्टी के चढाव की ओर ले जा पाना कोई सरल काम नहीं।

इस सब के बावजूद नड्डा को अपनी उस फरेबी विद्या पर पूरा भरोसा है जो उन्होंने आरएसएस से ग्रहण की और जिसका अमित शाह व मोदी जैसों की प्रयोगशाला में बरसों तक पूरा अभ्यास किया। हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण करने के तमाम हथकंडे उन्होंने शुरू कर दिये हैं क्योंकि वे भली-भांति समझते हैं कि उनकी पार्टी एवं सरकार देश की जनता को न तो कुछ दे पाई है और न ही दे पाने की स्थिति में है। अभी तक देश को देने के नाम पर उनकी सरकार ने नोटबंदी, बेरोजगारी, घटती जीडीपी, गिरता रुपया, बढती महंगाई के अलावा छद्म राष्ट्रवाद, धारा 370, एनआरसी, सीएए आदि का झुनझुना ही दिया है। इन हालात में भाजपा के पास ले-दे कर एक ही सहारा बचता है हिंदुत्व, जिसके नाम पर देश में साम्प्रदायिक ज़हर फ़ैलाया जाय।

भ्रष्टाचार और लूट कमाई के मामले में भी नड्डा पीछे नहीं। इसका छोटा सा उदाहरण दिल्ली के एम्स में देखा जा सकता है। कांग्रेसी मनमोहन सिंह राज में नड्डा के चेहते हिमाचल काडर के एक आईएएस व एक आईपीएस अधिकारी एम्स में तैनात थे। उनके द्वारा मचाई गयी भारी लूट के चलते मनमोहन सरकार ने हरियाणा काडर के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को मुख्य विजिलेंस अधिकारी लगाया तो नड्डा को इतनी तकलीफ़ हुई कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद से कहकर चतुर्वेदी को एम्स से हटवाने के आदेश जारी करा दिये थे। परन्तु तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कह कर वह आदेश रद्द करवा दिया जिसके चलते कांग्रेसी राज में चतुर्वेदी अपने पद पर बने रह गये।

इस दौरान चतुर्वेदी ने करोड़ों रुपये के घोटाले पकड़ निकाले। लेकिन तभी भाजपा की मोदी सरकार आ गयी, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री बने, परन्तु नड्डा को इससे तसल्ली नहीं हुई और हर्षवर्धन से छीन कर खुद स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी ले ली। बस फ़िर क्या था, पहला निशाना ही चतुर्वेदी पर साधा और अपने दोनों लुटेरे अफ़सरों को उनके शिकंजे से निकाला। इससे समझा जा सकता है कि नड्डा के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को भी फलने-फूलने का पूरा मौका अमित शाह की तर्ज पर मिलेगा।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

फ़रीदाबाद डीसीपी विक्रम कपूर आत्महत्या काण्ड

खोदा पहाड़ निकाली चुहिया

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद डीसीपी विक्रम कपूर आत्महत्या काण्ड बीते साल अखबारों में छाया रहने वाला एक चर्चित मुद्दा था। बिकाऊ अखबारों ने उस वक्त सतीश कुमार (संपादक मजदूर मोर्चा) को पुलिसिया इशारे पर गुनहगार बनाना शुरू कर दिया था। जैसे-जैसे वक्त बीता यह प्रयास गायब होता गया; कारण, खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी झूठ को सच साबित करना पुलिस के लिए भी उतना ही मुश्किल सिद्ध हुआ जितना बिकाऊ अखबारों के लिए।

पद्मश्री समाजसेवी ब्रह्म दत्त ने सरकार पर उठाये सवाल

यहाँ पाठकों को बता दें कि 2-8 जून 2019 के मजदूर मोर्चा अंक में डीसीपी कपूर के सट्टा खिलवाने सम्बंधित छपी खबर को लेकर फरीदाबाद शहर के जाने-माने समाजसेवी और वकील डाक्टर ब्रह्मदत्त ने हरियाणा के डीजी लॉ एंड आर्डर के नाम 8 जून 2019 को एक शिकायत पत्र डाल कर एक्शन की मांग की थी।

इतना ही नहीं पद्मश्री डाक्टर ब्रह्म दत्त ने मजदूर मोर्चा की खबर गलत पाए जाने और स्वार्थपूर्ति के कारणों से छपने की सूरत में डीजी साहब से अखबार के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की मांग की थी। परन्तु डीजी लॉ एंड आर्डर को शायद यह गंभीर मामला जांच योग्य नहीं जान पड़ा और इस शिकायत का कोई जवाब तक नहीं दिया गया।

इसके बाद, पहले वाली शिकायत का हवाला देते हुए डॉ. ब्रह्मदत्त ने दूसरी चिट्ठी फरीदाबाद के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के नाम लिखी, जिसकी कॉपी फिर से डीजी लॉ एंड आर्डर को भी भेजी गयी थी। उन्होंने 05/07/19 की इस चिट्ठी में पुलिस की छवि के खराब होने का हवाला देते हुए मजदूर मोर्चा अखबार 23-29 जून में छपी खबर की प्रति भी संलग्न की।

डीसीपी कपूर की आत्महत्या के सन्दर्भ में डॉ. ब्रह्मदत्त ने तीसरी चिट्ठी 29 नवम्बर 2019 को कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए डीजीपी हरियाणा पुलिस मनोज यादव को लिखी जिसे कमिश्नर फरीदाबाद केके राव को भी कॉपी किया और साथ ही पिछली दो शिकायतों को भी संलग्न किया।

इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि यदि उनकी शिकायतों पर गंभीरता से विचार किया गया होता तो डीसीपी कपूर की जान बच सकती थी। विभाग ने यदि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए डीसीपी कपूर पर कोई जांच बैठाई होती और उनका तबादला कर दिया होता तो शायद इंस्पेक्टर, जिसका जिक्र सुसाइड नोट में डीसीपी कपूर ने किया है से लगातार प्रताड़ना का उनका सिलसिला टूट गया होता और आत्महत्या की नौबत नहीं आ पाती।

यह कोई पहला अवसर नहीं है जब विभाग के भीतर इस प्रकार की परस्पर प्रताड़ना की शिकायत सामने आई हो। ऐसे में, यदि विभाग सजग होता तो अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच स्वस्थ पेशेवर संबंधों को लेकर और पुलिसकर्मियों के संपर्क में आने वाले जरूरतमंदों से सावधानीपूर्ण बर्ताव को लेकर बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग एवम् काउंसलिंग चर्चाएं भी आयोजित करता।

दुर्भाग्यवश ऐसा न हो सका और हद तो तब हो गई जब पहले की दो शिकायतों के संदर्भ में डाली आरटीआई के जवाब में हरियाणा पुलिस का जवाब आया कि शिकायत पत्र ट्रेस नहीं हो सकते जबतक कि डॉ. ब्रहमदत्त डायरी नंबर में शिकायत की तारीख न बता सकें।

हैरानी की बात यह है डा. ब्रम्हदत्त को वांछित जवाब पुलिस विभाग से अब तक भी नहीं मिला है। इस लापरवाही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले जिन आला अधिकारियों को अपने महकमे की इज्जत सटोरियों के हाथ बिकते शर्म नहीं थी उन्हें आज अपने एक अधिकारी की जान जाने के बाद भी भविष्य में ऐसा न हो इसकी कोई परवाह नहीं। हाँ ठीकरा फोड़ने के लिए फिर किसी सतीश कुमार को अवश्य फंसा देंगे। नहीं फंसा सके तो भी कोई बात नहीं, न्यायपालिका कौन सा इन्हें इस अपराध की सजा देगी, रोज का काम है यह सब पुलिस के लिए।

अरावली जंगल बचाने की जन मुहिम-अरावली यात्रा

'सेव अरावली ट्रस्ट' की ओर से 19 जनवरी को इस साल की पहली अरावली यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा सुबह सात बजे गांव मोहबताबाद के 'झरना' मंदिर से शुरू होकर लगभग 4 किलो मीटर का चक्कर लगाकर वापिस झरना मंदिर पर ही खत्म हुई। अरावली जंगल और इसके पर्यावरण से परिचय कराने के लिये हर महीने ये यात्रा आयोजित की जाती है। यात्रा में हर बार पहले के मुकाबले ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं जो न सिर्फ़ इसके लोकप्रिय होते जाने का सबूत हैं बल्कि लोग़ों के अपने पर्यावरण के प्रति और ज्यादा जागरूक होने का भी प्रमाण है। इस बार की यात्रा में लगभग 200 लोग़ों ने हिस्सा लिया जिसमें बड़ी संख्या में महिलायें और बच्चे थे। यात्रा में लोग़ों ने यहां पाये जाने वाले पेड़-पौधों व पशु-पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल की।

इस अवसर पर सेव अरावली ट्रस्ट के प्रधान जितेन्द्र ने लोग़ों के सामने ट्रस्ट के लक्ष्यों और कामों के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने लोग़ों से जंगल बचाने, अधिक से अधिक पेड़ लगाने, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने। बंद करने व पानी संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा कि ये जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। सेव अरावली समूह के ही एक अन्य सदस्य रमेश श्योरान ने भी अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने बताया कि कई महीनों से आस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग और अमेरिका द्वारा छेड़े जा रहे युद्ध पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। इधर

अरावली के गुड़गांव के इलाके में बन्धवाड़ी तक और फ़रीदाबाद में सूरजकुण्ड रोड पर बड़े-बड़े फ़ार्म हाउस व बैन्कवैट हॉल बनाये गये हैं /बनाये जा रहे हैं, जिसके लिये हजारों पेड़ों को काटकर पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचायी गयी है। इस क्षति की पूर्ति दस गुणा नये पेड़ लगाकर भी नहीं हो पायेगी।

इस मुहिम को आगे बढाने के लिये लगातार मेहनत करने वाले सेव अरावली के वालंटियर बधाई व प्रशंसा के पात्र है। आशा और नये लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे। इसके लिये सेव अरावली का ट्रविटर और फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं या उनके 'व्हाटस एप ग्रुप' के सदस्य बन सकते हैं।

सीएए-एनआरसी से नाराज भाजपा के 76 मुस्लिम सदस्यों ने दिया इस्तीफा, बोले हिंदू-मुस्लिम मुद्दे पर हम कब तक फंसे रहेंगे?

नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहें हैं। लोग सड़कों पर हैं लेकिन अब खुद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मुस्लिम सदस्य अपने समुदाय से अलग होकर भाजपा का समर्थन नहीं करना चाहते हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में असंतुष्ट सदस्य भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं।

नागरिकता अधिनियम के विरोध के चलते सदस्यों में फैले असंतोष के कारण मध्यप्रदेश में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के 76 सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले भी अल्पसंख्यक मोर्चा के 48 सदस्यों ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद इस्तीफे की लहर हे चल पड़ी है।

द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम तथा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर देश भर में चल रहे आंदोलनों से फैले असंतोष के चलते मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 76 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया।

भोपाल जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष आदिल खान और राज्य के मीडिया प्रमुख जावेद बेग सहित अल्पसंख्यक सेल के 48 सदस्यों ने इससे पहले पद छोड़ दिया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के करीबी माने

जाने वाले राजिक कुरैशी फारशीवाला ने भी भाजपा छोड़ दी है। राजिक कुरैशी फारशीवाला ने कहा कि यह केवल हम ही जानते हैं कि हमारे समुदाय के लोगों को भाजपा को वोट देने के लिए मनाना कितना मुश्किल है। हम उन्हें मनाने के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन सीएए, एनआरसी जैसे विवादास्पद मुद्दों पर भाजपा के रवैये से हमारे लिए लोगों से वोट मांगने में मुश्किल हो जाएगी।

फारशीवाला कहते हैं, 'हम हिंदू-मुस्लिम मुद्दों में कब तक फंसेंगे? क्या हमारे बच्चों को हायर ऐजुकेशन पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा? हमने बाबरी मस्जिद-राम मंदिर मामले में पार्टी की सराहना की और ट्रिपल तलाक कानून का विरोध नहीं किया लेकिन कॉमन सिविल कोड जैसे अधिक विवादास्पद मुद्दे भविष्य में दिखाई देते हैं।

न्यूज 18 के अनुसार, 'इंदौर अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव वसीम इकबाल खान कहना है, 'हम ट्रिपल तलाक, राम मंदिर-बाबरी मस्जिद, धारा 370 को निरस्त करने जैसे विवादास्पद मुद्दों के साथ अपने समुदाय के लोगों का साथ नहीं छोड़ सकते।''सीएए, एनआरसी और अन्य ऐसे कानून 85 प्रतिशत आबादी के मन में नफरत पैदा करने का प्रयास है जो उन लोगों के खिलाफ है जो देश की आबादी का लगभग 15 प्रतिशत हैं। हम देश के 31 प्रतिशत निरक्षर लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वे आसानी से अपने नागरिकता के दस्तावेज पेश कर सकेंगे।'

समान नागरिक कानून ऐसा कानून है जो देश के समस्त नागरिकों, चाहे वह किसी धर्म या क्षेत्र से संबंधित हों पर लागू होता है। यह किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। देशभर के सभी नागरिकों को चाहे वह किसी भी धर्म अथवा समुदाय का हो, सबके लिए एक जैसा ही क़ानून रहेगा।

बता दें कि भाजपा सरकार लगातार जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि सीएए मुसलमानों के ख़िलाफ नहीं है लेकिन इसके बावजूद हर कहीं मुस्लिम समुदाय सक्रिय रूप से आंदोलनों में नजर आ रहा है। साथ ही मुस्लिम समुदाय की महिलाएं जोर-शोर से भाग ले रहीं हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद, शाहीन बाग, लखनऊ के क्लॉक टॉवर पर मुस्लिम महिलाओं के प्रदर्शन इसके उदहारण हैं।

केंद्र सरकार मुस्लिम समाज को भरोसा दिलाती रही है कि नागरिकता संशोधन कानून भारत के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन मुस्लिम समुदाय संतुष्ट नजर नहीं आता। लोगों को डर है कि नागरिकता संशोधन क़ानून के बाद केंद्र सरकार एनआरसी लाएगी और फिर उनको देश से बाहर कर दिया जाएगा या अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया जाएगा।

जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी कह चुके हैं कि नागरिकता संशोधन क़ानून का हिंदुस्तान के मुसलमान से कोई लेना-देना नहीं है। प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है और कोई विरोध प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकता है। कोई भी हमें यह करने से रोक नहीं सकता है। जरुरी है कि हम इसे नियंत्रण में रहकर शांतिपूर्वक करें तथा अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। -

जेपी नड्डा के स्वागत समारोह में महिला सिपाही से अश्लील हरकत करते पकड़ा गया भाजपा कार्यकर्ता

जनज्वार। भाजपाइयों और विवादों का चोली-दामन का साथ हो गया है। कभी कहीं कोई भाजपा नेता जहर उगलता नजर आता है तो कभी कोई हिंदू राष्ट्र का शिगूफा छेड़ता है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न में भी इनका स्थान सर्वोपरि है, इसका उदाहरण जेल में बंद सेंगर हैं, जिन्होंने न सिर्फ युवती का बलात्कार किया, बल्कि उसके पिता को भी मरवा दिया और उसके बाद भी रेप पीड़िता को मरवाने के तमाम जतन किये। सेंगर जैसे न जाने कितने लोग भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं।

ऐसे ही 23 वर्षीय भाजपा कार्यकर्ता शोएब को उस वक्त कैमरे में कैद कर लिया गया जब कल 23 जनवरी को दिन में तकरीबन साढ़े 11 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत समारोह में उन्होंने एक महिला सिपाही से अश्लील हरकत की। भाजपा के नये अध्यक्ष के स्वागत समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर जीरो पाइंट पर भाजपा कार्यकर्ता ने महिला सिपाही से अश्लीलता की। यही नहीं घटना का वीडियो बना रही एक महिला सब इंस्पेक्टर का फोन भी भाजपाइयों ने छीना और मीडिया से भी बदतमीजी से पेश आये।

घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने छेड़खानी करने वाले भाजपा कार्यकर्ता को तुरंत हिरासत में ले लिया। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में लिए जाने खबर की फैलते ही भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए और उनकी पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान छेड़खानी के दोषी भाजपा कार्यकर्ता का वीडियो बना रहे मीडियाकर्मियों पर भी भाजपाइयों ने हमलावर होने की कोशिश की। जेपी नड्डा के स्वागत न्यूज को कवर कर रहे मीडियाकर्मियों के मोबाइल तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने छीन लिये, ताकि छेड़खानी की खबर बाहर न जा पाये।

महिला सिपाही से छेड़खानी करने वाले भाजपा कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान ही भाजपा कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गये थे। इससे संबंधित जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनमें बीजेपी कार्यकर्ता दबंगई दिखाते सरेआम पुलिसवालों को धमकाते नजर आए और पुलिसकर्मी भी कह रहे हैं कि सबकुछ रिकॉर्ड हो रहा है। इसी दौरान इसे कवर कर रहे दो मीडियाकर्मियों पर भी भाजपाइयों ने हमला बोल उनका मोबाइल छीन लिया।

इस संबंध में गौतमबुद्ध नगर की अपर पुलिस आयुक्त श्रीपर्णा गांगुली कहती हैं, 'आगरा जनपद में आयोजित एक रैली में भाग लेने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता आज ग्रेटर नोएडा होते हुए जा रहे थे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वहां तैनात महिला पुलिसकर्मी से शोहेब पुत्र तय्यब निवासी धौलाना नाम के एक भाजपा कार्यकर्ता ने अश्लील हरकत की। महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर थाना बीटा-2 में आईपीसी की धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।'

हथियार दलाल संजय भंडारी और आयकर अधिकारियों पर मेहरबानी

जनचौक ब्यूरो

सीबीआई के तत्कालीन चीफ आलोक वर्मा को हटाकर जब नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम चीफ बनाया गया तो उच्चतम न्यायालय ने उन्हें कोई नीतिगत निर्णय लेने से रोक दिया था। इसके बावजूद नागेश्वर राव ने हथियार दलाल और सीए संजय भंडारी, उसके दो बेटों श्रेयांस और दिव्यांग तथा सुरेश कुमार मित्तल, प्रधान आयुक्त, आयकर, दिल्ली सहित नौ आयकर अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार का मामला बंद करने का आदेश पारित कर दिया था। ये भंडारी वही हैं जिसका राबर्ट वाड्रा से संबंध बताया जाता है। भंडारी भारत से भाग कर इंग्लैंड में रह रहा है और उसकी भारत स्थित संपत्तियां ईडी ने जप्त कर ली हैं।

इंडियन एक्सप्रेस में 27 नवंबर 2018 को एक खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें कहा गया था कि तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 23 अक्टूबर के उस सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा उन्हें सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए छुट्टी पर जाने को कह दिया गया था।

इसके बाद एक नया विवाद सामने आया, जिसमें कहा गया कि सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने 11 नवंबर 2018 को एक आदेश पारित करके चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय भंडारी और दिल्ली के तत्कालीन प्रधान आयकर आयुक्त सहित नौ आयकर अधिकारियों के खिलाफ दर्ज़ भ्रष्टाचार का मामला बंद करने का आदेश पारित किया है।

जबकि नागेश्वर राव को उच्चतम न्यायालय ने 26 अक्टूबर को निर्देश दिया था कि वह अभी से कोई भी नीतिगत निर्णय (फैसले) या कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेंगे और केवल वही नियमित कार्य करेंगे जो सीबीआई के लिए आवश्यक हैं।

वह मामला जिसके लिए 11 नवंबर को केस बंद करने का आदेश पारित किया गया था, वह जून 2016 का था जब सीबीआई ने संजय भंडारी और उनके दो बेटों श्रेयांस और दिव्यांग को एसके मित्तल, प्रधान आयुक्त, आयकर, दिल्ली सहित नौ आयकर अधिकारियों सहित भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने के आरोप में बुक किया था। यह आरोप लगाया गया था कि ये आयकर अधिकारी भंडारी से लभान्वित होने वालों की सूची में शामिल थे और उन्होंने भंडारी के लोगों की मदद करने के एवज में अवैध लाभ लिए, जिसमें पांच सितारा होटलों में रुकने, लक्जरी कारों में यात्रा करने और फ्लाइट यात्रा शामिल थे।

यह मामला जनवरी 2015 में सीबीआई द्वारा दर्ज एक अन्य मामले से उपजा था, जिसमें संजय भंडारी का नाम संयुक्त आयुक्त सलॉन्ग याडन के साथ नामित किया गया था, जिसे कथित तौर पर श्रेयांस भंडारी से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। राव के फैसले ने सात जून को सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्होंने मामले को बंद करने से इनकार कर दिया था और मदुरै की यात्रा के दौरान फिर से जांच के आदेश दिए थे।

राव का यह निर्णय नौ नवंबर को दिल्ली में सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा की नोटिंग से सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि मदुरै की यात्रा के दौरान, सक्षम अधिकारी (वर्मा) ने मामले को फिर से खोलने के लिए मौखिक रूप से तब कहा था जब मामले को 13 मार्च को भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो चेन्नई ने बंद कर दिया था।

आलोक वर्मा के निर्देश की अवहेलना करते हुए, राव के आदेश में कहा गया था कि यह मामला पहले ही 13 मार्च 2018 को अंतिम रूप ले चुका है। इसलिए एचओबी (शाखा प्रमुख) तदनुसार निर्णय लें। संयोग से राव मार्च में सीबीआई के चेन्नई ज़ोन के प्रभारी संयुक्त निदेशक थे, जिन्होंने भंडारी के खिलाफ मामला बंद करने की सिफारिश की थी। अंतरिम निदेशक का पद संभालने से पहले राव को मई में दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय बुला लिया गया था।

सीबीआई के एक प्रवक्ता ने वर्मा के निर्देश के खिलाफ राव के फैसले को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था, जांच के बाद और सबूतों के आधार पर मामले को बंद करने के लिए पूर्व निदेशक द्वारा 13 मार्च 18 को निर्णय लिया गया था। इसके बाद, अंतरिम निदेशक के समक्ष फिर से जांच के लिए फाइल पेश की गई। यदि वे इसका अनुमोदन कर देते तो यह एक नीतिगत निर्णय होता जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विरुद्ध होता। इसलिए, दोबारा खोलने के अनुरोध को ठुकरा दिया गया।

गौरतलब है कि जून 2015 के आखिरी हफ्ते में अख़बारों में खबरें आईं कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा मित्तल के पति और प्रधान आयकर आयुक्त सुरेश कुमार मित्तल के साथ नौ वरिष्ठ आयकर अधिकारियों पर बीते दिनों भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। वहीं इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई, बैंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद और खम्माम में 17 जगहों पर छापेमारी की थी। इन शहरों में अधिकारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय भंडारी के आवासीय और कार्यालय पर भी छापेमारी की गई।

छापों में सीबीआई ने 2.6 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, 16 लाख रुपये की नकदी, 4.25 किलोग्राम सोने के आभूषण, 13 किलोग्राम चांदी के सामान के अलावा 68 लाख रुपये की सावधि जमा रसीद भी बरामद की गई। ये सारा सामान अलग-अलग अधिकारियों के घर से मिला है।

प्रधान आयकर आयुक्त सुरेश कुमार मित्तल ने मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में स्वीकर किया था कि भंडारी के सौजन्य से होटल में उनके साथ उनकी पत्नी जस्टिस रेखा मित्तल भी रुकी थीं। मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी याचिका ख़ारिज कर दी थी।

सीबीआई ने सुरेश कुमार मित्तल के अलावा, बैंगलोर के अतिरिक्त आयुक्त टीएन प्रकाश, चेन्नई के उपायुक्त आरवी हारन प्रसाद के उपायुक्त एस मुरली मोहन, चेन्नई के आयुक्त विजयलक्ष्मी, मुंबई के अतिरिक्त आयुक्त एस पांडियन, मुंबई के आयुक्त आईटीएटी जी लक्ष्मी बराप्रसाद, गाजियाबाद के अतिरिक्त निदेशक विक्रम गौर और मुंबई के अतिरिक्त निदेशक राजेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके अलावा चार्टर्ड एकाउंटेंट संजय भंडारी और उनके बेटे श्रेयांश और दिव्यांग के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था ।

इन लोगों पर आरोप है कि इन अधिकारियों ने चार्टर्ड अकाउंट और उनके बेटों से तमाम सुविधाएं ली और इसके बदले में उनके ग्राहकों को सहायता पहुंचाई। सीबीआई के मुताबिक इन आयकर विभाग के इन अधिकारियों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय भंडारी और उनके बेटों से अनुचित लाभ उठाया था। दरअसल ये अधिकारी हथियार दलाल और चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय भंडारी के पे रोल पर रहे हैं। अब यह तथ्य रहस्य के घेरे में है कि यह मामला बंद कर दिया गया है या अभी जांच लंबित है?

कश्मीरः नेटबंदी इस तरह जन्नत को बदल रही है दोजख में

जनचौक ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट के सीधे हस्तक्षेप के बावजूद कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं अभी भी बहाल नहीं हो पाई हैं। ज्यादातर इलाकों में ब्रॉडबैंड पांच महीनों (अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद) से पूरी तरह ठप हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस बाबत महत्वपूर्ण निर्देशों की अवहेलना जारी है। कश्मीर के प्रबुद्ध और आम लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है कि जिस समीक्षा का आदेश उच्चतम न्यायालय ने सरकार को दिया था, उसकी खानापूरी भी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही। सब कुछ जस का तस है।

इस पत्रकार ने कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों पर समीक्षा और इंटरनेट बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश तथा दिशा-निर्देश के अर्ध सप्ताह पर कश्मीर में रह रहे कुछ कतिपय लोगों से खास बातचीत की। दिल्ली में सरकार कहीं भी कुछ दावा करे लेकिन कुल मिलाकर जमीनी हकीकत दूसरी है।

फोन पर बातचीत में श्रीनगर में रह रहे सीपीआई, कश्मीर स्टेट काउंसिल के सदस्य मोहम्मद यूसुफ भट्ट कहते हैं, कुछ सरकारी अस्पतालों और होटलों में इंटरनेट चल रहा है, लेकिन वह भी सुचारू नहीं बल्कि तदर्थ रूप से। यही हाल बैंकों और शिक्षण संस्थानों का है। जहां-जहां इंटरनेट चल रहा है, वहां एजेंसियां बाकायदा निगरानी कर रही हैं। सारा कंट्रोल एजेंसियों के हाथों में है। कश्मीर में कदम-कदम पर इसके प्रमाण आपको मिल जाएंगे। दिखावे के तौर पर 'कुछ न कुछ' किया जा रहा है। असल हालात अगस्त सरीखे ही हैं।

उन्होंने कहा कि लोग बैंक जाकर या एटीएम के जरिए पैसे तो निकलवा सकते हैं, लेकिन अपने मोबाइल के जरिए (ई बैंकिंग द्वारा) कहीं ट्रांसफर नहीं करवा सकते। विद्यार्थी और बेरोजगार ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल न कर पाने के चलते जबरदस्त मुश्किलों में हैं। सुप्रीम कोर्ट के इंटरनेट संबंधी दिए गए दिशा-निर्देश महज कागजों तक महदूद है। कश्मीर उसी तरह लॉक डाउन का सामना करने को मजबूर है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

डॉक्टर उमर शाद सलीम यूरोलिस्ट हैं और मुंबई से अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर सेवा भावना के साथ श्रीनगर प्रैक्टिस करने आए थे। उनके माता-पिता भी श्रीनगर के ख्यात डॉक्टर हैं। इस डॉक्टर परिवार को लगता है कि कश्मीर इन दिनों दमन और शीत गृह युद्ध के दौर से गुजर रहा है। डॉक्टर उमर साइकिल से श्रीनगर से सटे गांवों में जाकर बीमारों का प्राथमिक उपचार करते हैं और समकालीन कश्मीर से वाकिफ हैं।

उनके मुताबिक, इंटरनेट के अभाव ने कश्मीर में तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को नाकारा कर दिया है। यहां आकर जानिए कि बहुप्रचारित प्रधानमंत्री 'जन आरोग्य योजना' किस तरह मृत हो गई है। उसका सिर्फ नाम बचा है। इस योजना के कार्ड स्वाइप नहीं हो पा रहे हैं और मरीज मारे-मारे फिर रहे हैं।

एक अन्य एमबीबीएस डॉक्टर हसन गिलानी कहते हैं, बारूदी गोलियों और दहशत से मरने वाले कश्मीरी आज जरूरी दवाइयों के अभाव में दयनीय मौत मर रहे हैं। इसलिए कि दवाइयां और डॉक्टरों के बीच होने वाला चिकित्सीय परामर्श इंटरनेट के जरिए आता-जाता है। सरकारी अस्पतालों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की सुविधा दी गई है, लेकिन एक डॉक्टर को परामर्श से लेकर बाकी चीजों का आदान-प्रदान इंटरनेट के जरिए करना होता है, जबकि उनके घरों में यह सुविधा अभी भी प्रतिबंधित है।

उन्होंने बताया कि अब सब कुछ आपके मूल अधिकारों पर नहीं बल्कि सरकारी मनमर्जी तथा अंकुश पर निर्भर है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग व्हाट्सऐप के जरिए डॉक्टर से सलाह नहीं ले सकते। पांच अगस्त के बाद जरूरी इलाज के अभाव में जो मरीज मरे हैं, उनके सही आंकड़े सामने आएं तो इस खौफनाक स्थिति की असली तस्वीर पता चलेगी।

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में उच्च पद पर रहे और इंडियन डॉक्टर्स एंड पीस डेवलपमेंट और आईएमए से जुड़े जम्मू-कश्मीर के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने श्रीनगर से फोन पर इस पत्रकार को बताया कि घाटी में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड बहाल करने का दावा एक छलावा है। दुनिया के सबसे बड़े इस लॉक डाउन ने आवाम की जिंदगी को और ज्यादा नर्क बना दिया है।

वह कहते हैं, आज के युग में डॉक्टर सिर्फ किताबी ज्ञान या पुराने अनुभव के आधार पर ही मरीज का इलाज नहीं करते। उन्हें देश-विदेश से नई सूचनाएं भी लाजिमी तौर पर चाहिए होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट मुहैया करवा सकता है और कश्मीर में यह बाधित है। लंदन से प्रकाशित 200 साल पुराने अति प्रतिष्ठित मेडिकल जनरल 'लेमट' ने अपनी एक हालिया विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में लिखा है कि लॉक डाउन के चलते दुनिया में ऐसे हालात पहले कहीं दरपेश नहीं हुए, जैसे आज कश्मीर में हैं।

उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर प्रतिबंध ने इस सिलसिले को खतरनाक हद तक खत्म कर रखा है। फिलहाल सरकारी दहशत भी इतनी ज्यादा है कि अनेक डॉक्टर इस वजह से सरकार से ब्रॉडबैंड नहीं लेना चाहते कि उनकी एक-एक गतिविधि सरकारी खुर्दबीनी की कैद में आ जाएगी। इंटरनेट स्थगित होने से अस्त-व्यस्त हुई मेडिकल सेवाओं के लिहाज से कश्मीर में हालात यकीनन 1947 से भी बदतर हैं। यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं।

सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में सेवारत एक डॉक्टर के अनुसार सरकार आखिर इंटरनेट शुरू करने से परहेज क्यों कर रही है। अगर संचार सेवाएं चलती हैं तो लोगों को बुनियादी सुविधाएं तो मिलेंगी ही, वे व्यस्त भी हो जाएंगे और उनकी मानसिक दुश्वारियां भी कम होंगी। इंटरनेट पर पाबंदियां और उसके जरिए सूचनाओं का आदान-प्रदान न होना उन्हें मानसिक रोगी बना रहा है।

सोपोर के एक अध्यापक के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आम कश्मीरी इंटरनेट सेवाओं से पूरी तरह वंचित हैं। इस आदेश के तीन दिन बाद कुछ सरकारी परीक्षाओं के परिणाम आए तो परीक्षार्थी उन्हें नेट पर नहीं देख पाए। सरकारी जगहों पर लगाए गए सूचनापटों के जरिए उन्हें देखा गया। इसके फोटो मीडिया में भी आए। क्या यह मंजर साबित नहीं करता कि कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं? एक बैंक कर्मचारी ने बताया कि लोग एटीएम से पैसे निकलवा सकते हैं लेकिन खुद ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ब्रॉडबैंड भी कुछ जगह काम कर रहे हैं।

कश्मीर के कुछ और लोगों ने बताया कि सरकार जो भी 'समीक्षा रिपोर्ट' सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे, लेकिन फिलवक्त अगस्त से जारी लॉक डाउन यथावत जारी है। श्रीनगर के एक पत्रकार कहते हैं, सरकार के भरोसेमंद बड़े अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के लोगों को पहले दिन से ही इंटरनेट सेवाएं हासिल हैं। उसके आधार पर शायद आंकड़ें पेश कर दिए जाएं कि इतने ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्शन कश्मीर में काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि समीक्षा रिपोर्ट या तो लीपापोती होगी या फिर नयी बहानेबाजियों के साथ और समय मांगा जाएगा। जिन 48 सरकारी अस्पतालों में ब्रॉडबैंड शुरू करने के दावे किए गए हैं उनकी आड़ भी ली जाएगी। वह जोर देकर कहते हैं कि यकीनन ऐसा ही होगा। घाटी के चप्पे-चप्पे पर सरकारी एजेंसियों का कब्जा है।

मोहम्मद यूसुफ भट्ट कहते हैं, पांच महीने बाद भी कश्मीर खामोश तो है पर सामान्य नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए छोटे-मोटे कारोबार अथवा दुकानदारी वाले धंधे तो चल रहे हैं लेकिन कश्मीर की आंतरिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ पूरी तरह टूट चुकी है। आज से भी शुरू किया जाए तो इसे ठीक होने में दशकों लग जाएंगे। सरकार न तो खुद कश्मीरियों की आवाज सुनना चाहती है और न किसी को सुनने देना चाहती है। नहीं तो अभी भी इंटरनेट इस तरह बंद करने और इसे लेकर झूठ पर झूठ की क्या वजह है?

उधर, जम्मू में रहते सीपीआई के राज्य सचिव नरेश मुंशी ने कहा कि जम्मू में भी इंटरनेट को लेकर काफी भ्रम है। ज्यादातर सरकारी दफ्तरों और अफसरों के ब्रॉडबैंड तथा इंटरनेट तेज गति से चलते हैं, जबकि आम नागरिकों के धीमी रफ्तार से। आम नागरिकों को 2-जी की ही सुविधा हासिल है और उसमें भी अक्सर व्यवधान आता है। कुछ डाउनलोड नहीं हो पाता।

नरेश मुंशी जम्मू के ताजा हालात के बारे में कहते हैं, पांच अगस्त को जम्मूवासियों में जो लड्डू बांटे गए थे वे अब यहां के बाशिंदों को कड़वे लगने लगे हैं। वहां से जम्मू के व्यापारियों को पैसा मिलना बंद हो गया है और इस खित्ते का बहुत बड़ा तबका अब मानता है कि अनुच्छेद 370 निरस्त करना उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। वैसे भी जम्मू को दबाव में लिया गया था।

सरकार यह जानकारी भी छुपा रही है कि पांच अगस्त के बाद जम्मू की कठुआ, पुंछ और राजौरी सीमा पर भारत-पाक के बीच लगातार फायरिंग हो रही है, जिसमें आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे तक मारे जा रहे हैं। इसे सरकार जगजाहिर नहीं होने दे रही। समूची कश्मीर घाटी के भीतर तो लावा है ही, जम्मू भी धीरे धीरे और गहरे असंतोष की जद में आ रहा है। हम रोज इसे फैलते देख और महसूस कर रहे हैं। जम्मू इलाके में लोग महसूस करने लगे हैं कि धारा 370 का इस तरह रद्द होना उनके लिए भी खासा नागवार है।

पर उपदेश कुशल बहुतेरे

हिमांशु कुमार

सुना है दिल्ली में दूर-दूर से स्कूल के बच्चों को लाया गया और सर्दी में सुबह-सुबह उन्हें नाश्ता और लंच के पैकेट एक साथ दे दिए गए जो पैकेट ठंड के मारे और भी अकड़ गए।

बाद में एक आदमी आया जिसके पास खुद फर्जी डिग्रियां हैं।

जिसने कभी 10 वीं या 12 वीं की भी परीक्षा पास नहीं करी, उसने आकर बच्चों को उपदेश पिलाया की परीक्षा कैसे पास करनी है।

यह भी पता चला है कि जिन बच्चियों ने काले रंग के दुपट्टे या कपड़े पहने थे उनको कपड़े बदलने के लिए मजबूर किया गया।

काले रंग से डरता है, परीक्षा पास करने से डरता है।

और दूसरों को बहादुरी से परीक्षा का सामना करने का उपदेश देता है।

इससे बड़ा झूठा कौन होगा।

प्रोफेसर एसएआर गिलानी : बहुत जरूरी है कि उन्हें याद रखा जाए

मार्तण्ड कौशिक

आज से लगभग 11 साल पहले नवंबर 2008 में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने आर्ट्स फैकल्टी के कमरा नंबर 22 में "सांप्रदायिकता, फासीवाद, लोकतांत्रिक शब्दाडंबर और यथार्थ" विषय पर सेमिनार आयोजित किया था। सेमिनार के मुख्य वक्ता थे विश्वविद्यालय में अरबी भाषा के कश्मीरी मुस्लिम प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी।

गिलानी से बेहतर इस विषय पर बात रखने वाला देश में शायद ही कोई और था। 2002 में संसद में हुए हमले में उनकी कथित भूमिका को लेकर अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। मीडिया ने ट्रायल चलाकर अदालत का फैसला आने से पहले ही गिलानी को आतंकवादी घोषित कर दिया था। लेकिन आगे के तीन सालों में दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। उस सेमिनार में दमनकारी राज्य मशीनरी द्वारा उन पर लगाए आरोपों और सांप्रदायिकता पर गिलानी अपने विचार रखने वाले थे।

ऊंचे मंच पर रखी एक बड़ी मेज के पीछे गिलानी के साथ 21 साल के उमर खालिद बैठे थे। 2016 म जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुए विवाद के बाद खालिद पर भी देशद्रोह का आरोप लगा। इन दोनों के साथ मंच पर थे रामचंद्रन जो फिलहाल द ट्रिब्यून के संपादक हैं।

जैसे ही गिलानी मंच पर जा कर बैठे, एक विद्यार्थी उनके करीब आया और उनकी तरफ झुक गया। लग रहा था मानो वह गिलानी से कुछ कहना चाहता हो। वह छात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य था। गिलानी पर उसने दो बार थूका। गिलानी अचकचा गए और अपनी कुर्सी पर धंस-से गए।

इस कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए यह एक पूर्वनियोजित साजिश थी। फिर एबीवीपी के सदस्य चिल्ला-चिल्ला कर गिलानी और अन्य वक्ताओं को गालियां देने लगे। गिलानी ने बेखौफ रहकर अपनी बात कहनी शुरू की। एबीवीपी के सदस्य कमरे में तोड़फोड़ करने लगे और कुछ लोगों ने वक्ताओं के साथ मारपीट भी की। एबीवीपी की तत्कालीन अध्यक्षा नूपुर शर्मा, जिन्होंने बाद में हुए विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, आईं और घोषणा की कि गिलानी विश्वविद्यालय में अपनी बात नहीं रख सकते।

इस घटना का वीडियो मीडिया में पहुंच गया और टाइम्स नाउ चैनल के कार्यक्रम न्यूजआउर के एंकर अर्नब गोस्वामी ने गिलानी और नूपुर शर्मा को अपने शो में बुलाया। उस वक्त गोस्वामी आज की तरह हिंदू रष्ट्रवादी नहीं थे। 2014 में बीजेपी की जीत के बाद ही गोस्वामी हिंदू राष्ट्रवादी हुए।

गोस्वामी ने कहा, "आइए दिल्ली विश्वविद्यालय में घटी एक अश्लील हरकत की पिक्चर देखिए जिसमें एक छात्र ने एसएआर गिलानी पर दो बार थूका। पूरा देश इसे देखकर स्तब्ध है।"

शर्मा ने आक्रमक अंदाज में कहा, "मैं आपसे कहना चाहती हूं कि पूरे देश को आप पर थूकना चाहिए, पूरे देश को आप पर थूकना चाहिए।"

शर्मा का ऐसा आत्मविश्वास कि जिस विश्वविद्यालय में वह पढ़ती हैं, उसके प्रोफेसर पर पूरे देश को थूकना चाहिए, एक ऐसे माहौल की गवाही है जो उस वक्त कायम था। 9/11 को अमेरिका में हुए हमले के बाद आतंकवाद के नाम पर इस्लाम विरोधी विचार दुनिया भर में फैल चुका था और इसने हिंदू राष्ट्रवादियों के शब्दकोश में जगह पा ली थी। बस आतंकी होने का आरोप काफी था कि लोगों को दानव की तरह दिखाया जा सके। अब मुसलमानों पर थूकना, उन्हें बिना सबूत गिरफ्तार कर लेना, उन्हें पीटना, यातना देना और यहां तक कि उन्हें गोली मार देना स्वीकार्य हो गया था। 2001 से लेकर अक्टूबर 2019 में हृदयघात से मृत्यु तक, गिलानी ने बिना एक भी आरोप साबित हुए ये अत्याचार झेले. आरोपों से बरी होने के बाद गिलानी मा। व अधिकार कार्यकर्ता हो गए और राजनीतिक कैदियों की आजादी के लिए काम करने लगे।

गिलानी की रिहाई के लिए चलाए गए अभियान में शामिल रहीं लेखिका अरुंधति रॉय ने बताया, "मैं हमेशा उन्हें सबसे ज्यादा साहसी और ओजस्वी इंसान की तरह याद करती रहूंगी। वह हमेशा उन लोगों के लिए काम करते रहे जो उनके ही जैसे अनुभव से गुजर रहे थे।"

गिलानी भारत के ऐसे राजनीतिक कैदी थे जो भारतीय राज्य व्यवस्था की ज्यादतियों का जीता-जागता सबूत थे। उनकी जिंदगी की कहानी यह साबित करने के लिए काफी है कि आधुनिक राज्य सत्ता के पास इतनी ताकत है कि वह किसी आम इंसान को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरे की तरह पेश कर सकती है और गोदी मीडिया राज्य के इस कृत को स्वीकार्य बनाता है। साथ ही, यह भी कि कैसे कई बार अदालतें भी बड़ी नाइंसाफी कर बैठती हैं।

निरंकुशता, अत्याचार और लगभग मार दिये जाने के बावजूद, अमानवीयता के इस युग में गिलानी ने अपनी इंसानियत को बचाए रखा। उन्होंने भारतीय राज्य या उन्हें दुश्मन के रूप में देखने वालों के लिए अपने दिल में नफरत पैदा नहीं की। तो भी एक ऐसे शख्स के रूप में जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, वह राज्य और मीडिया में उसके प्यादों के निशाने पर ताउम्र रहे। जब आतंकवादी का ठप्पा नहीं लगाया जा सका तो उन्हें राष्ट्रविरोधी करार दिया गया. बहुत जरूरी है कि गिलानी को याद रखा जाए: उन पर लगाए गए आरोपों और उछाले गए कीचड़ के लिए नहीं बल्कि इंसाफ और मानवाधिकारों के लिए उनकी निडर प्रतिबद्धता के लिए।

गिलानी का जन्म 1969 में हुआ था. वह कश्मीर के एक महत्वपूर्ण परिवार से आते थे। उनके पिता सैयद अब्दुल वली उल्लाह शाह गिलानी धर्म सुधारक थे, जिन्होंने कश्मीरी मुसलमानों में व्याप्त अंधविश्वास के खिलाफ काम किया। नूपुर शर्मा जैसे लोग चाहे जो भी समझें लेकिन गिलानी एक ऐसे माहौल में पले-बढ़े थे जो इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ था।

1980 और 1990 के दौर में गिलानी जवान हुए. यह वही दौर था जब कश्मीरी नौजवानों का भारतीय राज्य से मोहभंग होने लगा था और वे हथियार उठाने लगे थे। गिलानी की शादी जल्द हो गई लेकिन अपनी बीवी आरिफा को कश्मीर में छोड़कर वह लखनऊ और बाद में दिल्ली पढ़ाने आ गए। जब भी वह घर वापस आते तो काउंटर इनसरजेंशी के नाम पर जारी वहशियत की कहानियां सुनते जिसने शायद ही किसी कश्मीरी मुसलमान को बख्शा हो।

1990 की शुरुआत में सुरक्षाबलों ने उनके भाई बिस्मिल्लाह को पकड़कर यातनाएं दीं। अपनी किताब फ्रेमिंग गिलानी, हैंगिंग अफजल में वकील नंदिता हक्सर बताती हैं कि बिस्मिल्लाह को उल्टा लटकाकर पानी से भरी बाल्टी में डुबाया जाता। इसके बाद उन्हें पेट पर तब तक मारा जाता जब तक कि वह निगला हुआ पानी उगल नहीं देते। टॉर्चर के बाद उन्हें बर्फ पर फेंक दिया जाता था।' बाद में बिस्मिल्लाह ने मैन्युफैक्चरिंग टेररिज्म -कश्मीर एनकाउंटर्स विथ द मीडिया एंड द लॉ किताब लिखी। अपने तीखे अनुभव के बावजूद दोनों भाई लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति वफादार बने रहे। हक्सर लिखती हैं, दिल्ली में विद्यार्थी रहते हुए गिलानी अपने साथी विद्यार्थियों और शिक्षकों को घाटी के इतिहास और वर्तमान के बारे में शिक्षित करने का प्रयास करते रहते। हक्सर को लगता है कि इस युवा कश्मीरी विद्यार्थी द्वारा राज्य के नेताओं को कश्मीर पर बोलने के लिए आमंत्रित करना गुप्तचर एजेंसियों की नजरों में आ गया होगा।

वक्त बीता और गिलानी साल 2000 में जाकिर हुसैन कॉलेज में लेक्चरर हो गए और मुखर्जी नगर में एक बरसाती किराए पर लेकर बीवी और तीन साल के बेटे आतिफ के साथ रहने लगे। उनकी सात साल की बेटी नुसरत कश्मीर में ही पढ़ रही थी।

13 दिसंबर, 2001 को पांच लोगों ने विस्फोटक से भरी गाड़ी भारतीय संसद में घुसा दी। पांचों मार दिए गए और अगले दो दिन में ही पुलिस ने दावा कर दिया कि उसने यह मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने दावा किया कि इसमें गिलानी, मोहम्मद अफजल गुरु और उसका भाई शौकत हुसैन गुरु और शौकत की बीवी अफसान गुरु शामिल हैं। अफसान गुरु का नाम शादी से पहले नवजोत संधू था। पुलिस ने गिलानी को हमले का मास्टरमाइंड बताया।

गिलानी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। विशेष शाखा के लोग गिलानी को उल्टा लटका कर तलवों में लाठियों से पीटते और लगातार गालियां बकते रहते। इसके बाद उन्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटा कर तब तक पीटा गया, जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गए। हाथ में हथकड़ी बांधकर उन्हें पुलिस स्टेशन के ठंडे फर्श पर फेंक दिया जाता और उनके पैरों को जंजीर से टेबल से बांध दिया जाता और उनके बच्चों को यह सब दिखाया जाता। पुलिसवाले धमकी देते कि अगर वह झूठा जुर्म कबूल नहीं करेंगे तो वे लोग उनकी बीवी के साथ बलात्कार.....

आतंकवादरोधी कानून के तहत छह महीनों के भीतर एक विशेष अदालत का गठन हुआ जिसके जज एसएन ढींगरा थे। उन्होंने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। गिलानी, अफजल और शौकत को राज्य के खिलाफ जंग और षड्यंत्र के आरोप में फांसी और अफसान को पांच साल की कैद सुनाई गई।

2001 में गिलानी की गिरफ्तारी के बाद भड़के दिल्ली विश्वविद्यालय के उनके साथियों और दोस्तों ने वकील और मानव अधिकार कार्यकर्ता नंदिता हक्सर को इस मामले में बचाव पक्ष का वकील बनाया। हक्सर की टीम ने इसके लिए व्यापक अभियान चलाया और गिलानी के बचाव के लिए 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में रजनी कोठारी, सुरेंद्र मोहन, अरुंधति रॉय, सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय, फिल्म निर्माता संजय काक और संपादक प्रभाष जोशी जैसे लोग थे। इन लोगों ने गिलानी के खिलाफ सबूतों के अभाव की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

निचली अदालत में हार जाने के बावजूद इस टीम ने अपने अभियान को मजबूत बनाया और शानदार कानूनी लड़ाई लड़ी। जब इस टीम ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की तो हक्सर और अन्य लोगों ने राम जेठमलानी को अपनी टीम में शामिल कर लिया जो कुछ वक्त पहले तक सत्तारूढ़ अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कानून मंत्री थे। इस टीम ने भारत भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया, पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया और जनसभाएं कीं। मुख्यधारा का मीडिया पुलिस के बयानों को दिखा रहा था लेकिन इस अभियान ने लोगों के सामने सच्चाई उजागर की। अभियान ने न केवल इस मामले के प्रति लोगों को जागरूक बनाया बल्कि आतंकवाद रोधी कानून के जरिए नागरिक स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों के प्रति भी लोगों को आगाह किया। यह कानून संसद में हुए हमले के तीन महीनों में बना था। गिलानी के लिए चलाया जा रहा अभियान पोटा कानून के खिलाफ जारी आंदोलनों का मंच बन गया।

जेठमलानी के नेतृत्व में लड़ी गई कानूनी लड़ाई को जन जागरूकता अभियान ने बल दिया और इसकी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने गिलानी को मिली मौत की सजा खारिज कर दी और अफसाना को भी सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। बहुत कम ही ऐसा होता है कि राज्य के खिलाफ जंग के आरोप में फांसी की सजा पाया शख्स बरी हो जाए।

गिलानी ने पोटा पर ध्यान खींचने के लिए मीडिया की चकाचौंध का इस्तेमाल किया। अपनी रिहाई के बाद आयोजित पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिलानी ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के किसी भी कठोर कानून के लिए कोई जगह नहीं है। "क्या आप दो साल तक किसी निर्दोष के सिर पर मौत की सजा की तलवार लटकाए जाने को इंसाफ कहेंगे ?" उन्होंने पूछा। 'द हिंदू' ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, "उनकी रिहाई इस बात को केंद्र में ले आई कि पुलिस कितनी आसानी से पोटा का दुरुपयोग करने में सक्षम है।" तब तक कई दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्य और पर्यावरण और नागरिक-स्वतंत्रता कार्यकर्ता इस कानून का शिकार हो चुके थे। 2004 के चुनाव में पोटा को खत्म करना विपक्षी दलों के वादों में से एक था।

दिल्ली पुलिस ने संसद पर हुए हमले मामले में गिलानी और अफसाना को उच्च न्यायालय द्वारा मिली रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए अपील की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उनकी रिहाई को बरकरार रखा बल्कि शौकत की सजा को भी दस साल की जेल कर दिया। अफजल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे शुरुआत में मिली सजा को ऊपरी अदलतों ने बरकरार रखा। कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि हमारे पास अभी भी संसद के हमले में क्या हुआ और इसके पीछे कौन था, इसकी विश्वसनीय जानकारी नहीं है।

बरी हो जाने से भी गिलानी की परेशानी खत्म नहीं हुई। फरवरी, 2005 में नंदिता हक्सर के घर के बाहर एक अज्ञात बंदूकधारी ने उन्हें गोली मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कुछ गोलियां तो निकाल लीं लेकिन दो गोलियां उनकी रीढ़ में ही फंसी रहीं। उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुरक्षा में हुई इस चूक पर रोष जाहिर किया और उन्हें सुरक्षा दिए जाने का आदेश दिया। सशस्त्र केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के दो लोग स्थायी रूप से उनकी सुरक्षा में लगाए गए जो दिन-रात उनके आसपास रहते थे।

"गिलानी को रिहा करो अभियान" ऐसे कई कार्यकर्ताओं को एक साथ ले आया जिन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की रक्षा का काम जारी रखा। जेल में बिताए अपने समय के दौरान, उन्हें कई ऐसे मुसलमान और आदिवासी भी मिले जिन्हें बहुत कम या बिना किसी सबूत के "माओवादी" या "आतंकवादी" बना दिया गया था। इस अनुभव ने राजनीतिक कैदियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। अपनी रिहाई के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ गिलानी ने "राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए समिति" के नाम से काम करना शुरू किया।

विख्यात मानवाधिकार वकील कामिनी जायसवाल ने मुझे बताया, "मैंने काफी संख्या में कश्मीरियों के केस लड़े हैं क्योंकि गिलानी उन्हें मेरे पास ले आते। उनका लाया आखिरी केस 1996 के जयपुर ब्लास्ट का था, जिसमें फिरोजाबाद के एक डॉक्टर को मौत की सजा दी गई थी।"

रॉय ने इस बारे में किए गए गिलानी के कामों की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "जेल से बाहर आने के बाद आदिवासियों के संघर्ष की तरह शेष भारत में लड़ी जा रही अन्य प्रकार की लड़ाइयों के बारे में उनकी समझदारी असाधारण रूप से बढ़ गई थी। अपने राजनीतिक व्यवहार के बारे में वह स्पष्टवादी थे और इस बारे में भी उन्होंने राष्ट्रवादी होना तय कर लिया था कि वह कौन थे और राज्य के द्वारा अन्य जगहों पर भी लोगों को कुचला जा रहा है।"

गिलानी के साथ मेरी पहली और एकमात्र मुलाकात आकस्मिक थी। 2014 में जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य का छात्र था, तो साईबाबा को, जो मेरे प्रोफेसर थे, माओवादियों के साथ लिंक होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पोलियो के कारण साईबाबा अपने जीवन के अधिकांश समय तक व्हीलचेयर पर रहे और नागपुर जेल में रहने की भीषण परिस्थितियों के कारण उन्हें मस्तिष्क, रीढ़ और किडनी में गंभीर समस्याएं पैदा हुईं। 2015 के उत्तरार्ध में, जबकि साईबाबा चिकित्सा आधार पर जमानत पर बाहर थे, मैंने उनसे दिल्ली के एक अस्पताल में मुलाकात की, जहां उनका इलाज चल रहा था। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए उनके केस के बारे में लिखा था। जब मैं साईबाबा से बात कर रहा था, गिलानी अस्पताल के कमरे में चले आए। उनके साथ राइफल लिए दो गार्ड भी थे। गिलानी के सुरक्षा गार्ड और मैं दोनों प्रोफेसरों को बात करते हुए सुनते रहे।

साईबाबा के स्वास्थ्य और उनके मामले के बारे में एक गंभीर चर्चा के बाद उनकी बातचीत ने कुख्यात अंडा सेल के अनुभव की ओर रुख किया। अंडा सेल नागपुर जेल में कैदियों को अलग-थलग रखने वाला ब्लॉक है। दोनों ने जिन यातनाओं से वे गुजरे थे उसे लेकर एक-दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। साईबाबा ने बताया कि क्योंकि उनकी सेल में कोई खिड़की नहीं थीं और वहां हमेशा अंधेरा रहता था इसलिए यह बताना भी असंभव था कि समय क्या हुआ होगा।

"कम से कम आपको खाना तो मिलता था," गिलानी ने अपनी जेल को याद करते हुए जवाब दिया। उन्हें उच्च जोखिम वाली तिहाड़ सेल में रखा गया था और वहां भी कोई खिड़की नहीं थीं। उन्होंने मुझे नंगा रखा और मुझे कई दिनों तक खाना नहीं दिया. लेकिन मैंने भी समय का ध्यान रखा। जब गार्डों की बदली होती तो उन्हें अपनी मैगजीन खाली करनी पड़ती। मैगजीन की टिक टॉक मेरी घड़ी थी। (साईबाबा को 2017 में एक सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और तब से वे जेल में हैं। उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने सरकार से उनकी रिहाई का निवेदन किया है। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।)

साईबाबा की गिरफ्तारी और दोषी ठहराए जाने के बाद से, राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए लड़ने वालों पर कड़ा हमला हुआ है। रोना विल्सन और सुरेंद्र गडलिंग, जो दोनों साईबाबा की रिहाई के अभियान का हिस्सा थे, को पिछले साल भीमा कोरेगांव में हिंसा के बाद संदिग्ध आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल जिन अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, उनमें शोमा सेन, महेश राउत, सुधीर धवले, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, वर्नोन गोंसाल्विस, वरवरा राव और गौतम नवलखा शामिल हैं। हाल ही में हनी बाबू के घर पर छापा पड़ा था जो दिखाता है कि बुरा वक्त अभी बीता नहीं है। हनी बाबू ने मुझे डीयू में पढ़ाया था और सीआरपीपी के मीडिया सचिव थे। सीआरपीपी के अध्यक्ष गिलानी की मौत के साथ जमीनी स्तर की मानवाधिकार रक्षा के कामों में एक तरह का खालीपन पैदा हो गया है।

9 फरवरी, 2016 को अफजल गुरु की फांसी की तीसरी वर्षगांठ पर गिलानी ने गुरु की हत्या के विरोध में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। गिलानी हमेशा अपने इस विश्वास पर कायम और मुखर रहे कि गुरु निर्दोष थे। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गिलानी पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक महीना जेल में बिताना पड़ा।

उसी दिन नए-नए हिंदू राष्ट्रवादी बने, अर्नब गोस्वामी ने गिलानी की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए द न्यूजआउर में एक घंटे का प्रोग्राम चलाया।

यह आदमी एसएआर गिलानी खतरनाक है, गोस्वामी गला फाड़-फाड़ कर चीख रहे थे। अगर अब आपने एसएआर गिलानी को ढील दी, एसएआर गिलानी को इस देश में छुट्टा छोड़ दिया तो यह असम में अलगाववाद की वकालत करने वालों को खुली छूट देने के समान होगा यानी उल्फा की कार्रवाइयों को नैतिक रूप से सही ठहराना होगा। अगर एसएआर गिलानी को इस देश में छुट्टा छोड़ा जाता है तो यह खालिस्तानी अलगाववादियों को हरी झंडी दिखाना होगा यानी बब्बर खालसा के कामों को सही ठहराना होगा। इसलिए मेरा मानना है कि एसएआर गिलानी को अब लंबे समय तक सलाखों के पीछे होना चाहिए ...यह गिलानी ही था जिसने एक आतंकवादी को शहीद कहा था। यह गिलानी ही था जो भारत विरोधी, देश विरोधी भावनाओं को भड़का रहा था। 2008 में गिलानी का बचाव करने वाले इस सेलिब्रिटी एंकर ने एक सौ अस्सी डिग्री का मोड़ ले लिया था।

आज भारत सरकार मानवाधिकार के विचार के खिलाफ युद्ध लड़ती हुई सी दिख रही है।

मानव अधिकार कार्यकर्ताओं की हालिया गिरफ्तारियों को गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है जिसमें वह मानवाधिकार की निंदा एक पश्चिमी अवधारणा के रूप में करते हैं। इससे पता चलता है कि यह हिंदू-राष्ट्रवादी सरकार अधिकारों के संदर्भ में कई कट्टरपंथी इस्लामी राष्ट्रों के ही समान है।

सत्ता / अजय यादव

डराते हैं हमें सत्ता के हुक्मरान
धमकाते हैं खुलेआम ;
क्या लोकतंत्र में सत्ता के हुक्मरानों का यही काम ?

नहीं बोलते हैं जो उनके पक्ष में,
हिंदू लेखक, कलाकार और बुद्धिजीवी
उन्हें सत्ता के हुक्मरान कम्युनिस्ट कहते, कांग्रेसी कहते ।

और जो मुसलमान है,
उन्हें वो पाकिस्तानी कहते, देशद्रोही कहते ।

दागते हैं सवाल जो युवा उनकी नीयत और नीति पर,
दे देते हैं तमगा उन्हें 'टुकड़े-टुकड़े गैंग'
और देशद्रोहियों का।

वो तो यूं पहचान लेते 'टुकड़े-टुकड़े गैंग'
और देशद्रोहियों को उनके कपड़ों से।

अब, तो वो आसानी से पहचानने लगे हैं
बंग्लादेशियों को खाते पोहा देखकर।

ओढकर हुक्मरान हिंदुत्व की नारंगी चादरें,
कराते हैं देश में साम्प्रदायिक दंगें और हत्याएँ।

टुकड़े-टुकड़े करना चाहता है, जलाना चाहता है
देश को इन सम्प्रदायिकता के आग में।

सुन लो ऐ फ़ासीवादी, तानाशाही हुक्मरानों !
देश में जन-क्रांति की नई ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है।
जलाकर भस्म कर देंगें तुम्हारे इन अस्तित्वों को
इन जन-क्रांति की ज्वाला में।

हमार पास कागज नैना!

बोधिसत्व

अब का करबो सरकार!
हमार पास कागज नैना
छान डारा घर औ दुआर
हमार पास कागज नैना!
अब का करबो सरकार!

अब्बा रह गए बिन कागज के
चच्चा चल गए बिन कागज के
बिन कागज दद्दा गए सिधार
हमार पास कागज नैना!
अब का करबो सरकार!

सत्तावन में गरदन कटाई
बिन कागज के गदर मचा दी
हिल गई बिलैती सरकार
हमार पास कागज नैना!
अब का करबो सरकार!

जेहल का डर काहे देखावत
केके तुम हो मुलुक छोड़ावट
हम ना छोड़ब ई गंगा कछार
हमार पास कागज नैना!
अब का करबो सरकार!

केतना राजा केतना नवाब
आए बहि गए नाहीं हिसाब
तोहरऊ उजाड़ होए दरबार
हमार पास कागज नैना!
अब का करबो सरकार!
हमार पास कागज नैना!

यह सप्ताह / दो रास्ते

मनुष्य जीवन जीने के दो रास्ते हैं चिन्ता और चिन्तन। यहाँ पर कुछ लोग चिन्ता में जीते हैं और कुछ चिन्तन में। चिन्ता में हजारों लोग जीते हैं और चिन्तन में दो-चार लोग ही जी पाते हैं। चिन्ता स्वयं में एक मुसीबत है और चिन्तन उसका समाधान। आसान से भी आसान कार्य को चिन्ता मुश्किल बना देती है और मुश्किल से मुश्किल कार्य को चिन्तन बड़ा आसान बना देता है।

जीवन में हमें इसलिए पराजय नहीं मिलती कि कार्य बहुत बड़ा था अपितु हम इसलिए परास्त हो जाते हैं कि हमारे प्रयास बहुत छोटे थे। हमारी सोच जितनी छोटी होगी हमारी चिन्ता उतनी ही बड़ी और हमारी सोच जितनी बड़ी होगी, हमारे कार्य करने का स्तर भी उतना ही श्रेष्ठ होगा।

किसी भी समस्या के आ जाने पर उसके समाधान के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ही चिन्तन है। चिन्तनशील व्यक्ति के लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य मिल भी जाता है। उसके पास विवेक है और वह समस्या के आगे से हटता नहीं अपितु डटता है। समस्या का डटकर मुकाबला करना आधी सफलता प्राप्त कर लेना है।

"आवश्यकताओं" को मर्यादा से बढ़ा देने का नाम "अतृप्ति" और "दु:ख" है। उन्हें कम कर पूर्ति करने से "सुख" और "सन्तोष" प्राप्त होता है। मनुष्य एक ही प्रकार के सुख से तृप्त नहीं रहता। अत: असंतोष सदैव बना रहता है। वह असंतोष निंदनीय है जिसमें किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए मनुष्य दिन रात हाय-हाय करता रहे और न पाने पर "असंतुष्ट", "अतृप्त" और "दु:खी" रहे।

अपने भविष्य को पूरी शक्ति से अपने भीतर खींचे... अपने वर्तमान को अपनी क्षमता अनुसार रोक कर रखें... अपने भूतकाल को पूरी ताकत से बाहर निकाल दें..... यही है सर्वश्रेष्ठ जीवन योग..

क्रॉनॉलॉजी

सच्ची लघुकथा

1947 में एक आज़ाद भारतीय राष्ट्र अस्तित्व में आया था। तब हम पाकिस्तान से पिछड़ गए थे।

उन्होंने इस्लामी राष्ट्र बना लिया था।

वे उसे और 'पाक' करते गए। पहले बंगाली बोलने वालों को बाहर किया; फिर अहमदियों को। अब शियाओं का भी नम्बर लगा रखा है।

जबकि हम 70 साल से ज्यों के त्यों पिछड़े चले आ रहे थे। लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होगा।

सीएए, हिंदू राष्ट्र बनाने की भूमिका है।

इसलिए नहीं कि यह 'हिंदू' के लिए है। बल्कि इसलिए कि इसमें से 'मुसलमान' नदारद है।

एनआरसी, हिंदू राष्ट्र का घोषणापत्र होगा।

चुन-चुन कर एक-एक को निकाला जाएगा।

इस क्रॉनॉलॉजी को अच्छी तरह समझ लीजिए। हम पाकिस्तान होने जा रहे हैं।

- विकास नारायण राय

बच्चों की फिक्र सरकार को

गीता गैरोला

जब पूरा देश शाहीन बाग में बदल रहा है हमारी सरकारें बड़ी समझदार और संवेदनशील हो गई हैं।

बच्चों की बड़ी फिक्र हो गई उनको।कहते हैं औरतें बच्चे लेकर धरने में जा रही है।वहाँ पर बच्चे नफरत करने सीख रहे है।

जी हां बात तो पते की है

26 जनवरी से पहले कुछ मन की बात करने का मन हो रहा है।

जब औरतें मजदूरी करते समय बच्चों को साथ रखती हैं तब वो क्या सीखते है?

जब घरेलू कामगार औरतें बच्चों को साथ मे रखती है तब वो क्या सीखते हैं?

जब किसान औरतें बच्चों को घर मे रस्सी से बांध कर काम करने जाती हैं,तब वो क्या सीखते है?

जब औरतें घरों में बच्चों को बंद कर रोजगार पर जाती है तब वो अकेले बच्चे क्या सीखते है?

जब खुले आम बच्चों के सामने औरतोँ को पीटा जाता है तब बच्चे क्या सीखते हैं?

जब औरतें बच्चों को पालने के लिए सेक्स वर्कर का काम करती है तब बच्चे क्या सीखते है?

जब औरतें बच्चे गोद मे लेकर भीख मांगती है तब बच्चे क्या सीखते है?

तो महराज एक बात कान में तेल डाल के सुन लो

ये जो बच्चे नारे लगा रहे है,किताबें पढ़ रहे है,चित्र ओर पोस्टर बना रहे है ये सब

संविधान में दिए गए लोकतंत्र को पढ़ रहे हैं ,समझ रहे हैं। ये शाहीन बाग में वो सब सीख रहे हैं जिसमे आपकी शिक्षा व्यवस्था फेल हो गई

दुनिया का इतिहास उठा कर देख लीजिये आंदोलनों ने हमेशा पीढ़ियों को बेहतर और समझदार नागरिक दिए है।मैं अनपढ़ केवल चिपको आंदोलन, और नशा नही रोजगार दो आंदोलन के ही उदाहरण दे सकती हूँ।उन आंदोलनों से जुड़े,उनमे शिरक़त करने वाले लोग जहां पर भी है अपना उत्कृष्ट दे रहे हैं।

तो शाहीन बाग के बच्चों की फिक्र छोड़िए और ऊपर जितनी औरतोँ के बच्चो की बात है उनके लिये सारी सुविधाओं से युक्त क्रेश खोलिये।क्रेश बोला है छिचु मंदिल नही।

केजरीवाल का पहले जैसा जादू नहीं रहा पर काम की छाप वोट पर असर डालेगी

ल्ली चुनाव कवर करने के अब तक के चरण में मज़दूर मोर्चा ने असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की समस्याओं और आम आदमी सरकार द्वारा किये जाने वाले दावों के अलावा विपक्षी पार्टियां जो कभी सत्तानशीन थीं के वादों की हकीकत भी ग्राउंड जीरो से जानने का प्रयास किया है। शुरूआती मुख्य मुद्दों में शामिल असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कवर करने गई टीम का फोकस पहले चांदनी चौक विधानसभा में लगने वाले बाजार के रेहड़ी -पटरी वालों पर रहा और अगला पड़ाव बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में काम करने वाले मजदूरों और उनको मिलने वाले न्यूनतम वेतन पर केंद्रित रहा।

इस बार पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर, कीर्ति नगर, मायापुरी, विष्णु गार्डन और आस-पास के इलाकों में रहने वाले मजदूरों के साथ-साथ मध्यम वर्ग के लोगों से भी बात की गयी। मोती नगर विधानसभा में वर्ष 1993 से लेकर 2015 तक भाजपा का वर्चस्व रहा है। 162955 वोटरों वाली इस विधानसभा में पुरुष वोटरों की संख्या 92444 है तो वहीँ महिला वोटर भी 70502 की संख्या में हैं। मदन लाल खुराना की इस पक्की सीट पर किसी ने सोचा नहीं होगा कि लगभग 25 प्रतिशत वोट स्विंग से आम आदमी पार्टी के शिव चरण गोयल वर्ष 2015 में एम्एलए बनेंगे। पांच साल की अपनी सरकार के बाद विधायक और पार्टी पर आम वोटर का कितना भरोसा है इसका सार ग्राउंड रिपोर्ट में लिया गया।

25 वर्षीय राजू के दो बच्चे हैं और क्योंकि मंदी की मार ऐसी है कि कीर्ति नगर की लोहा मंडियों में काम ठप सा हो गया है तो जाहिर है उसकी चाय भी ठंडी पड़ गई है। ऐसे में अब दिल्ली में बच्चे पालने की विकट समस्या है। इस बार किस मुद्दे पर वोट देने का मन बनाया है, राजू ने बताया कि दो महीने पहले पैदा हुई बेटी को निमोनिया हो गया था। दिल्ली सरकार के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गया, इलाज भी हो गया और पैसे भी नहीं लगे। पिछली बार राजू की बड़ी बेटी बीमार पड़ी थी तो गोरखपुर के एक प्राइवेट क्लिनिक में साल भर की कमाई बच्ची के इलाज में चली गई थी। इतना कहने के बाद फिर वही गलियों का सैलाब भाजपा के लिए राजू के मुंह से बहने लगा।

विष्णु नगर और रघुबीर नगर की झुग्गी बस्ती में रहने वाले निवासियों में नदीम, दो पीढ़ियों से कांग्रेस के वोटर हैं। जल्दी-जल्दी कमीज की एक बांह बिना पहने ही झुग्गी से बाहर आ गए। जोर-जोर से चिल्लाते हुए बोले मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। हमारा परिवार हमेशा से कांग्रेस का कट्टर वोटर है। कट्टर से क्या मतलब है, नदीम ने कहा कुछ भी हो जाए कांग्रेस को वोट दूंगा। तो इस बार भी क्या कांग्रेस को वोट देंगे, मुस्कुराते हुए बोले, नहीं इस बार तो झाड़ू वाले को देना ही पड़ेगा, झाड़ू वाले ने काम ही इतना किया है। झुग्गी में पानी आ गया, पहले लाइन लगानी पड़ती थी पर अब नल है जिसमे कुछ वक्त के लिए पानी आ जाता है और काम भर का हम भर लेते हैं। और भी कई काम किये हैं पर है तो बदमाश ही यह केजरीवाल भी, फिर भी अभी एक बार और लाना चाहिए इसे।

कीर्ति नगर में फर्नीचर बनाने का काम करने वाले शिवकुमार आरएसएस के कट्टर समर्थक हैं। भाजपा के लिए अपनी जान तक दे दूंगा के नारे के बाद उन्होंने कहा, क्योंकि मोदी केंद्र में है तो राज्य में भी उसे ही होना चाहिए। ऐसा होने से क्या फर्क पड़ेगा, 50 वर्षीय शिवकुमार ने बताया कि अगर दोनों जगहों पर एक ही आदमी का शासन हो तो विकास कार्य तेजी से बढेगा। इस हिसाब से मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं केंद्र का असर दिखा जबकि वहां भाजपा सरकार है, के जवाब में केजरीवाल को चार गलियां देने के साथ ही शिवकुमार ने कहा, जब देखो तब केंद्र को कहता है काम नहीं करने दिया, तो इसने ये स्कूल कहाँ से बना लिए, अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक कहाँ से बना लिए।

मोती नगर में रहने वाली कुलवंत कौर एमसीडी स्कूल में अध्यापिका हैं। आम आदमी पार्टी सरकार के काम पर बोलते हुए कुलवंत कौर ने बताया कि जिस स्कूल में वह पढ़ाती हैं वहां के बच्चे कई बार उनसे ही पूछते हैं कि लाल वाले स्कूल में हम कब बैठेंगे। लाल वाला स्कूल यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाये गए स्कूल के वह कमरे जो आते-जाते किसी को भी दूर से ही दिख सकते हैं। केंद्र में मोदी को चाहने वाली कुलवंत दिल्ली में केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहेंगी। कुलवंत बोलीं, अपनी दिल की बात कहूं, लाल वाले स्कूल देख कर रश्क होता है कि यदि मेरे स्कूल की बिल्डिंग भी ऐसी हो तो रिश्तेदारों को बता सकूँ कि यहाँ पढ़ाती हूँ। अभी तो शर्म आती है छोटी सी बिल्डिंग में जा कर बैठने में ही।

कीर्ति नगर की झुग्गी बस्ती में घुसते ही पाया, महिलाएं भीतर की गलियों से निकल कर बाहर की एक चौकी सड़क पर बैठीं एक-दूसरे के बाल सुलझा रही थीं। माइक और कैमरा देखते ही सबके भीतर एक करंट सा दौड़ गया और घेरा बना कर सबने आग्रह किया कि पहले बस्ती के भीतर की गलियों को देख लो उसके बाद कोई बात करेंगे। हम तीन फीट चौड़ी गली में दाखिल हुए, घुसते वक्त तो लगा बस शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। ज्यों-ज्यों भीतर चलते गए चूहे के एक बिल से दूसरे बिल तक सुरंग के जाल सी यह गलियां किसी भूल भुलैया से कम नहीं थीं। खुली नालियां, आमने सामने के घरों के दरवाजे खोल दें तो रास्ता ही बंद हो जाए। बदबू में रहने को मजबूर इन लोगों ने एक घर के छज्जे पर लगे कैमरे की तरफ इशारा करके बताया कि अब हमारे मोहल्ले में कैमरा लग गया है। चोरियां कम हुई या नहीं, कह नहीं सकते, पर हाँ, कैमरे की मदद से दो बार चोरों को पहचान कर पकड़ लिया।

झुग्गी बस्ती के लोगों ने बताया कि पानी की सुविधा मिल रही है बराबर। पीने के पानी के लिए भी दिल्ली सरकार ने एक आरओ लगवाया है जिस पर एक रुपया देकर 10 लीटर पीने का पानी भरा जा सकता है। सरिता ने ताली मार कर ठहाका लगाते हुए कहा कि पानी तो केजरीवाल ने दे दिया पर पाखाना कौन देगा, मोदी जी बाँट रहे थे, हमें तो नहीं मिला। एक अन्य महिला ने बताया कि समूहिक इस्तेमाल के लिए बड़ा सा एक शौचालय बनाया है एमसीडी ने। पहले तो कभी साफ सफाई नहीं होती थी और उधर कोई जाता ही नहीं था, पर पिछले कुछ दिन से सफाई होने लगी है।

'केजरीवाल का नाम न लो यार, न जाने क्यों मेरे तन बदन में आग सी लग जाती है। झूठा है साला, जब देखो तब रोता रहता है। मुफ्त दे-दे कर सब औरतों को बिगाड़ दिया और यहाँ तक की सरकारी खजाना भी खाली कर डाला।' रामप्रकाश की नाराजगी केजरीवाल से थी पर उनकी अपनी बेटी का ही कहना था कि पापा को छोड़ कर बस्ती के सभी लोग केजरीवाल को चुनेंगे। पापा की सेटिंग है न भाजपा और कांग्रेस दोनों से, इन्हें गिफ्ट भी मिलता है। इतना कहना था कि रामप्रकाश समेत सभी उपस्थित ठहाके लगाने लगे।

फिलहाल तो मोती नगर विधानसभा के इन गरीबों की औकात उतनी ही है जितनी कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के गरीब पिता और अरविन्द केजरीवाल के आम बच्चों की मेहरबानी से हो सकती है। आठ फरवरी यानी वोट पड़ने के दिन तक सभी इनके दरवाजे माथा नवाएंगे और इन्हें भी मालूम है कि शराब भी मिलेगी और साथ कुछ नोट भी।

रेल की पटरी मजबूरन खेल का मैदान है यहाँ के लोगों के लिए पर असल में यह रेल की पटरी मौत का कुआँ है। न जाने कब किसी की नजर चूके और मातम हो जाए।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06